भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 471
जिसका उत्तर बुधवार, 5 फरवरी, 2020 को दिया जाना है

जिला न्यायालय

+471. श्री ओमप्रकाश भूपालसिहं उर्फ पवन राजेनिंबालकर :

श्री संजय जाधव :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सहित देश में जिला न्यायालयों की जिले-वार संख्या कितनी है तथा उक्त न्यायालयों में इस समय कितने मामले लंबित हैं ;

(ख) क्या सरकार का उक्त लंबित मामलों से संबंधित लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए किसी नई योजना का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधीं ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : राज्य सरकारों द्वारा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से की जाती है। राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) के वेबपोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार आज तारीख तक देश के 633 जिलों में 3206 न्यायालय परिसर हैं। राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) के वेबपोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार 29.01.2020 तक, लगभग 3.19 करोड़ मामले विभिन्न जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित हैं। 29.01.2020 को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या का विवरण उपाबंध पर है।

(ख) और (ग) : न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है। न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। तथापि, संघ सरकार मामलों के त्वरित निपटारे और मामलों के लंबन में कमी के लिए प्रतिबद्ध है। न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन ने कई रणनीतिक पहलों को अंगीकार किया है, जिनमें जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए (न्यायालय हालों और आवासीय इकाईयों) की अवंसरचना में सुधार, बेहतर न्याय के परिदान के लिए सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी(आई सी टी) का प्रभावन, उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरना; जिला, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के स्तर पर बकाया मामला समितियों द्वारा अनुवर्तन के माध्यम से लंबित मामलों में कमी, अनुकल्पी विवाद समाधान (ए डी आर) पर जोर और विशेष प्रकार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पहल सम्मिलित है। विभिन्न पहलों के अधीन पिछले पाँच वर्षों के दौरान उठाए गए मुख्य कदम निम्नानुसार हैं—

(क) <u>जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार:-</u>

1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सी एस एस) के प्रारंभ से आज की तारीख तक 7453.10 करोड़ रु० जारी किए जा चुके हैं। जिसमें से 4008.80 करोड़ रु० (जो आज की तारीख तक जारी कुल रकम का 53.79% है) अप्रैल, 2014 से राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को जारी किए गए हैं। इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से 29.01.2020 तक बढ़कर 19,632 हो चुकी है और तारीख 30.06.2014 को आवासीय इकाईयों की संख्या 10,211 से बढ़कर 29.01.2020 तक 17,412 हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, 2,713 न्यायालय हाल और 1893 आवासीय इकाईयां निर्माणाधीन हैं।

(ख) <u>बेहतर न्याय के परिदान के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) का प्रभावन:-</u>

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में समर्थ करने के लिए संपूर्ण देश में सरकार ई – न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है। वर्ष 2014 से आज तारीख तक कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या 13,672 से बढ़कर 16,845 हो चुकी है और 3,173 की वृद्धि दर्ज की गई है। सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में नया और उपयोक्ता अनुकूल मामला सूचना सॉफ्टवेयर विकसित करके लगाया गया है। सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में, एन जे डी जी पर इन कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों के संबंध में 12.97 करोड़ लंबित और निपटाए गए मामलों तथा 11.15 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों से संबंधित मामला प्रास्थिति सूचना उपलब्ध है। मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को ई न्यायालय सेवाऐं जैसे मामला रजिस्टर करने, मामला सूची, मामले की प्रास्थिति, दैनिक आदेशों और अंतिम निर्णयों के ब्यौरे सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में ई न्यायालय बेव पोर्टल न्यायिक सेवा केन्द्रों (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ईमेल सेवा, एस एम एस पुश एण्ड पुल सर्विस के माध्यम से उपलब्ध हैं। 3240 न्यायालय परिसरों और 1272 तत्स्थानी जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान की गई है।

(ग) <u>उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों को भरना:-</u>

01.05.2014 से 30.01.2020 की अवधि के दौरान, उच्चतम न्यायालय में 35 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई। उच्च न्यायालयों में 515 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 435 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मई 2014 में 906 से वर्तमान में बढ़कर 1079 हो गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत संख्या निम्नानुसार बढाई गई है:-

तारीख	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या
31.12.2013 को	19,518	15,115
29.01.2020 को	23,782	18,812

(घ) <u>बकाया मामला समिति द्वारा / अनुवर्ती कार्यवाही के माध्यम से लंबित मामलों में कमी</u>

अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में पांच वर्ष

से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए उच्च न्यायालयों में बकाया मामला समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया मामला समितियों की स्थापना की गई है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कदम विरचित करने के लिए एक बकाया मामला समिति का गठन किया है।

(ङ) अनुकल्पी विवाद समाधान (ए डी आर) पर जोर: वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 (20 अगस्त 2018 को यथा संशोधित) बाध्यकारी पूर्व संस्थापन मध्यकता और वाणिज्यिक विवादोँ के परिनिर्धारण को नियत करता है । माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 में समय सीमा विहित करके विवादोँ के त्वरित समाधान को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा संशोधन किया गया है ।

(च) विशेष प्रकार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पहल: चौदहवें वित्त आयोग ने सरकार के राज्यों में न्यायिक तंत्र को मजबूत करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए वरिष्ठ नागरिकों, स्त्रियों, बालकों आदि से संबंधित मामलों हेतु त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना सम्मिलित हैं, और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रुप में प्रदान के गए राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। 30.09.2019 को जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बालकों के विरूद्ध अपराधों, कुटुम्ब और वैवाहिक विवादों आदि के लिए 704 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं। निर्वाचित सांसदों/विधायकों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए दस(10) विशेष न्यायालय नौ(9) राज्यों (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक में 1 और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में 2) में कार्य़ कर रहे हैं और सरकार द्वारा इन राज्यों को उचित अनुपात में निधियां जारी की गई हैं। और, सरकार ने भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और लैंगिक अपराधों से बालकों की सुरक्षा अधिनियम, 2012 के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के त्वरित निपटान हेतु संपूर्ण देश में 1023 विशेष त्वरित न्यायालय (एफ टी एस सी) स्थापित करने के लिए एक स्कीम का अनुमोदन किया है। आज तारीख तक, 648 विशेष त्वरित न्यायालयों की स्थापना हेतु 26 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्कीम में सम्मिलित हुए है, जिसके अंतर्गत 363 विशिष्ट पोक्सो न्यायालय भी हैं। (100 करोड़ रुपये के कुल आबंटन में से) 99.35 करोड़ रुपये इन 26 राज्यों को पहली किश्त के रुप में पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

****

उपाबंध

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों का विवरण, राज्यवार [29.01.2020 तक]

क्र.सं.	राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	कुल जिलों	कुल कोर्ट परिसर	जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की कुल संख्या $ $
1.	अंदमान निकोबार द्वीप	1	4	------
2.	आंध्र प्रदेश	13	187	564,693
3.	तेलंगाना	10	106	566,407
4.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-------
5.	असम	27	66	297,372
6.	बिहार	37	79	2875713
7.	चंडीगढ़	1	1	48,262
8.	छत्तीसगढ़	23	89	279,410
9.	दादरा और नागर हवेली	1	2	3033
10.	दमण और दीव	2	2	2310
11.	दिल्ली	1 1	12	866,265
12.	गोवा	2	16	24,813
13.	गुजरात	32	328	1611359
14.	हरियाणा	21	57	869,120
15.	हिमाचल प्रदेश	1 1	41	290,465
16.	जम्मू और कश्मीर	20	81	177,254
17.	झारखंड	24	24	386,064
18.	कर्नाटक	30	193	1555617
19.	केरल	15	131	1294910
20.	लद्दाख	2	3	450
21.	लक्षद्वीप	-	-	------
22.	मध्य प्रदेश	50	208	1449383
23.	महाराष्ट्र	40	467	3766400
24.	मणिपुर	9	18	9826
25.	मेघालय	8	4	8847
26.	मिजोरम	2	8	2544
27.	नागालैंड	-	-	---------
28.	ओडिशा	30	119	1244832
29.	पंजाब	22	67	639,683
30.	राजस्थान	35	306	1699168
31.	सिक्किम	4	5	1302
32.	तमिलनाडु	33	251	1153262
33.	पुडुचेरी	-	-	----------
34.	त्रिपुरा	8	21	25109
35.	उत्तर प्रदेश	74	169	7690966
36.	उत्तराखंड	13	56	208,011
37.	पश्चिमी बंगाल	22	85	2290464
कुल		**633**	**3206**	**31903314**

नोट: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड , और **लक्षद्वीप** और **पुडुचेरी** राज्यों में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का डेटा NJDG के वेब-पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। एनजेडीजी पोर्टल पर **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के** संबंध में डेटा उपलब्ध नहीं है

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 483
जिसका उत्तर बुधवार, 5 फरवरी, 2020 को दिया जाना है

न्यायिक अवसंरचना

483. श्री बी. मणिक्कम टैगोर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष 2019-20 तक संपूर्ण देश में न्यायिक अवसंरचना के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के तहत 7460.20 करोड़ रुपये की निधि आवंटित की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और योजना के तहत स्थापित न्यायालय कक्षों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या राज्यों के बीच ऐसी आवंटित राशि के बंटवारे में कोई असमानता है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार द्वारा इस योजना के तहत पर्याप्त संख्या में न्यायालय कक्ष स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : केंद्रीय सरकार वर्ष 1993-94 से न्यायपालिका के लिए अवसरंचना सुविधाओं के विकास हेतु केंद्रीय रुप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) का संचालन कर रही है । इस स्कीम के आरंभ से उसके अधीन आज तक राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्रों को 7,453 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। जारी की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा **उपाबंध-1** पर है। उच्च न्यायालयों / राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के लिए 19,632 न्यायालय हॉल उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 2 ,713 न्यायालय हॉल निर्माणाधीन है । उपलब्ध न्यायालय हॉलों और निर्माणाधीन न्यायालय हॉलों के राज्यवार ब्यौरे **उपाबंध-2** पर है।

(ग) और (घ) : न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केंद्रीय रुप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के अधीन निधियों के राज्यवार संवितरण के लिए सुस्पष्ट मानदंड विकसित करने के क्रम में चार प्रांचलों के आधार पर वर्ष 2018-19 से एक वैज्ञानिक सूत्र अंगीकृत किया गया है, अर्थात्, (i) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या के संबंध में संनिर्माण के लिए रह गए न्यायालय हॉलों की संख्या (ii) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या के संबंध में संनिर्माण के लिए रह गई आवासिक इकाइयों की

संख्या (iii) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या के संबंध में कार्यरत पद संख्या, और (iv) अधीनस्थ न्यायपालिका में 10 वर्ष और उससे पुराने लंबित मामले। इन पैरामीटरों के 40 : 40 : 10 :10 के अनुपात में वरीयता मानदंड है। ऐसे मानदंड के आधार पर राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधियों का अनंतिम आबंटन, राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को तदनुसार उनके प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु समर्थ बनाने के लिए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अग्रिम में सूचित किया जाता है। केंद्रीय रुप से प्रायोजित स्कीम के अधीन अनुदान जारी करते समय विशिष्ट राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को पहले से ही आबंटित निधियों के उपयोगिता प्रमाणपत्रों और अव्ययित बकाया को प्रस्तुत करने के लंबित होने पर भी विचार किया जाता है।

(ङ) : स्कीम का उद्देश्य जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायालय हॉलों और आवासिक इकाइयों के लिए उपलब्ध अवसंरचना को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या के सदृश करना है। तथापि, अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायालयों की स्थापना करना, राज्य सरकारों का प्राथमिक दायित्व है। केंद्रीय सरकार, अधीनस्थ न्यायपालिका के अवसंरचना विकास के लिए निधियां प्रदान करके सहायता कर रही है।

****

उपाबंध-1

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 483 जिसका उत्तर तारीख 05.02.2020 को दिया जाना है का निर्दिष्ट विवरण

अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रुप से प्रायोजित स्कीम के अधीन राज्यवार जारी किए गए अनुदान को दर्शाने वाला विवरण

रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 1993-94 से 2014-15 तक जारी	वर्ष 2015-16 में जारी	वर्ष 2016-17 में जारी	वर्ष 2017-18 में जारी	वर्ष 2018-19 में जारी	वर्ष 2019-20 में जारी	कुल
1	आंध्र प्रदेश	15964.45	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	17964.45
2	बिहार	10469.72	0.00	5000.00	4290.00	6204.00	7762.00	33725.72
3	छत्तीसगढ़	7181.07	0.00	0.00	0.00	1968.00	983.00	10132.07
4	गोवा	799.93	0.00	0.00	0.00	315.00	406.00	1520.93
5	गुजरात	35264.42	5000.00	5000.00	5000.00	1502.00	1649.00	53415.42
6	हरियाणा	9286.42	5000.00	0.00	1500.00	1191.00	1406.00	18383.42
7	हिमाचल प्रदेश	2313	0.00	819.00	0.00	408.00	572.00	4112.00
8	जम्मू - कश्मीर	12151.6	1325.00	2104.00	1000.00	1901.00	1000.00	19481.60
9	झारखंड	8143.52	3044.00	0.00	5000.00	959.00	1374.00	18520.52
10	कर्नाटक	43861.85	5000.00	5000.00	5000.00	3812.00	3404.00	66077.85
1 1	केरल	6087.3	0.00	0.00	2500.00	3082.00	1582.00	13251.30
12	मध्य प्रदेश	25113.04	5000.00	0.00	5000.00	7942.00	4690.00	47745.04
13	महाराष्ट्र	49941.86	5000.00	4975.00	5000.00	1058.00	2109.00	68083.86
14	ओडिशा	9024.27	0.00	0.00	0.00	2250.00	3569.00	14843.27
15	पंजाब	32384.92	5000.00	4800.00	5000.00	2647.00	1978.00	51809.92
16	राजस्थान	6402.51	5000.00	4374.00	1734.00	1741.00	3421.00	22672.51
17	तमिलनाडु	15131.46	0.00	5000.00	0.00	609.00	2871.00	23611.46
18	तेलंगाना	0	0.00	0.00	0.00	1000.00	565.00	1565.00
19	उत्तराखंड	8067.16	0.00	0.00	2500.00	2202.00	850.00	13619.16
20	उत्तर प्रदेश	67660.57	5000.00	5000.00	7500.00	12806.00	12194.00	110,160.57
21	पश्चिमी बंगाल	10953.46	0.00	0.00	1734.00	3522.00	4143.00	20352.46
	उत्तर पूर्वी राज्य							
1	अरुणाचल प्रदेश	3163.44	1593.00	0.00	0.00	0.00	269.00	5025.44
2	असम	11771.3	0.00	0.00	2000.00	3209.00	3154.00	20134.30
3	मणिपुर	4141.71	2000.00	0.00	0.00	887.00	666.00	7694.71
4	मेघालय	3480	2037.00	2000.00	863.00	1482.00	1285.00	11147.00
5	मिजोरम	3702.29	0.00	0.00	2000.00	594.00	524.00	6820.29
6	नागालैंड	6795.64	0.00	2000.00	2000.00	321.00	0.00	11116.64
7	सिक्किम	4630.39	0.00	0.00	0.00	257.00	278.00	5165.39
8	त्रिपुरा	7053.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1382.00	8435.45
	संघ-राज्यक्षेत्र							
1	अंदमान और निकोबार द्वीप	895.55	0.00	259.68	0.00	131.00	200.00	1486.23
2	चंडीगढ़	3900.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3900.95
3	दादरा नागर हवेली	706.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.25
4	दमण और दीव	190.00	0.00	42.43	0.00	0.00	0.00	232.43
5	दिल्ली	7897.08	6040.32	5000.00	2500.00	0.00	4669.00	26106.40
6	लक्षद्वीप	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.25
7	पुडुचेरी	**3148.88**	**259.68**	**2500.00**	**0.00**	**0.00**	**331.00**	**6239.56**
कुल		**437,730.71**	**56299.00**	**53874.11**	**62121.00**	**65000.00**	**70286.00**	**745,310.82**

उपाबंध-2

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 483 जिसका उत्तर तारीख 05.02.2020 को दिया जाना है का निर्दिष्ट विवरण

तारीख 30-01-2020 को न्यायालय हॉलों की राज्यवार उपलब्धता पर विवरण।

क्र. सं.	राज्य और संघ-राज्यक्षेत्र	उपलब्ध न्यायालय हॉलों की कुल संख्या	निर्माणाधीन न्यायालय हॉलों की संख्या
1	अंदमान और निकोबार	17	0
2	आंध्र प्रदेश	602	50
3	अरुणाचल प्रदेश	24	0
4	असम	371	67
5	बिहार	1476	88
6	चंडीगढ़	31	0
7	छत्तीसगढ़	470	22
8	दादरा और नागर हवेली	3	0
9	दमण और दीव	5	0
10	दिल्ली	541	152
1 1	गोवा	53	28
12	गुजरात	1509	158
13	हरियाणा	551	81
14	हिमाचल प्रदेश	160	8
15	जम्मू और कश्मीर	202	35
16	झारखंड	601	61
17	कर्नाटक	1100	51
18	केरल	509	37
19	लक्षद्वीप	3	0
20	मध्य प्रदेश	1452	392
21	महाराष्ट्र	2266	322
22	मणिपुर	38	9
23	मेघालय	53	34
24	मिजोरम	43	26
25	नगालैंड	30	12
26	ओडिशा	664	179
27	पुडुचेरी	29	7
28	पंजाब	572	47
29	राजस्थान	1198	193
30	सिक्किम	25	1
31	तमिलनाडु	1132	91
32	तेलंगाना	448	28
33	त्रिपुरा	78	10
34	उत्तर प्रदेश	2312	317
35	उत्तराखंड	228	66
36	पश्चिमी बंगाल	836	141
कुल		**19,632**	**2713**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 486
जिसका उत्तर बुधवार, 5 फरवरी, 2020 को दिया जाना है

फास्ट ट्रैक मामले

+486. श्री प्रदीप कुमार सिंह :

श्रीमती गीताबेन वी. राठवा :

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल :

श्री नारणभाई काछड़िया :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है जिसके लिए न केवल सख्त कानून अपितु त्वरित न्यायिक प्रक्रिया की भी आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ देश में फास्ट ट्रैक न्यायालय गठित किए हैं ;

(ग) क्या सभी राज्यों में उक्त न्यायालय सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या इन न्यायालयों के अंतर्गत सभी राज्यों को सम्मिलित किया गया है और उक्त न्यायालयों की संख्या कितनी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या उक्त न्यायालय न्यायदान में सक्षम हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ड.) : विभिन्न अपराध शीर्षों की अपराध दर तुलना पिछले तीन वर्षों में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर कोई समान प्रवृत्ति दर्शित नहीं करती है। संघ सरकार ने कठोर विधि सुनिश्चित करने के लिए दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 और दंड विधि अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2018 अधिनियमित किए हैं। 14वें वित्त आयोग ने, विनिर्दिष्ट प्रकृति के मामलों जैसे जघन्य प्रकृति के अपराधों के मामले, महिलाओं, बालकों, वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मामले और अन्य असुरक्षित वर्गों तथा संपत्ति विवादों के सिविल मामले, जो पांच वर्षों से अधिक से लंबित हैं, के लिए त्वरित न्यायिक प्रक्रिया के उपाय के रूप में भारत सरकार के 2015-20 के दौरान 4144 करोड़ रुपए की लागत से 1800 त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना करने के प्रस्ताव का समर्थन किया हैं। आयोग ने राज्य सरकारों से कर न्यागमन (32% से 42%) के माध्यम से उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त राजकोषीय व्यवस्था का उपयोग करने का अनुरोध किया था। वर्तमान में, देश में 828 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं । 31.12.2019 को त्वरित निपटान न्यायालयों की प्रास्थिति **उपाबंध-1** पर दी गई है।

दंड विधि (संशोधन) अधिनियम को अग्रसर करने के लिए संघ सरकार ने अगस्त, 2019 में बलात्कार और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम से संबंधित मामलों के शीघ्र

निपटान के लिए देशभर में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए एक स्कीम को अंतिम रूप दिया है। तदनुसार, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को संसूचित किया गया है। 26 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने सहमति दी है और इस स्कीम के साथ जुड़े हैं जिनके पक्ष में केन्द्रीय अंश 99.35625 करोड़ रकम आज की तारीख तक जारी की जा चुकी है। त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों की प्रास्थिति **उपाबंध-2** पर दी गई है।

****

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 486 जिसका उत्तर 05.02.2020को दिया जाना है में निर्दिष्ट उपाबंध-1

31/12/2019 को त्वरित निपटान न्यायालयों की प्रास्थिति						
क्र.सं.	तारीख 31.12.2019को अद्यतन					
	राज्य/संघ-राज्यक्षेत्र का नाम	वर्ष 2019 में कार्यरत न्यायालयों की सं.	तिमाही (01.10.2019 से 31.12.2019 तक) के प्रारंभ में मामलों की संख्या	तिमाही (01.10.2019 से 31.12.2019 तक) के दौरान रजिस्ट्रीकृत मामलों की संख्या	तिमाही (01.10.2019 से 31.12.2019 तक) के दौरान निपटाए गए मामलों की सं.	तारीख 31.12.2019 को लंबित मामलों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश, अमरावती	21	6555	635	427	6763
2	गुवाहाटी उच्च न्यायालय	0	0	0	0	0
i	असम	19	8144	1283	1319	8108
ii	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
iii	मिजोरम	2	161	72	79	154
iv	नागालैंड	0	0	0	0	0
3	बम्बई उच्च न्यायालय	91	91,118	46,152	29,779	107,491
i	गोवा	0	0	0	0	0
ii	दमण और दीव	0	0	0	0	0
iii	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0
4	छत्तीसगढ़	38	5030	2848	996	6882
5	कलकत्ता उच्च न्यायालय(पश्चिमी बंगाल + अंदमान निकोबार)	88	48,580	4214	3071	49,723
6	दिल्ली	10	4024	412	226	4210
7	गुजरात	0	0	0	0	0
8	पंजाब और हरियाना उच्च न्यायालय					
i	हरियाणा	6	863	223	162	924
ii	पंजाब	0	0	0	0	0
iii	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
9	पटना	57	21,483	2616	1789	20774
10	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
1 1	जम्मू - कश्मीर	5	851	45	20	876
12	झारखंड	0	4471	452	430	4632
13	केरल	0	0	0	0	0
i	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
14	कर्नाटक	0	0	0	0	0
15	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0
16	मणिपुर	4	213	16	19	210
17	मेघालय	0	0	0	0	0
18	ओडिशा	0	0	0	0	0
19	राजस्थान	0	0	0	0	0
20	सिक्किम	1	7	7	8	6
21	तमिलनाडु उच्च न्यायालय (तमिलनाडू + पुड्डुचेरी)	74	5762	962	688	6036
22	त्रिपुरा	1 1	849	100	38	937
23	तेलंगाना	29	11226	3666	4942	9950
24	उत्तर प्रदेश	368	417,744	58,417	71,034	405,127
25	उत्तराखंड	4	0	650	83	567
	कुल	828	627,081	122,770	115,110	633,370

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 486 जिसका उत्तर 05.02.2020को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट उपाबंध-2

आज की तारीख तक त्वरित निपटान न्यायालयों की प्रास्थिति

क्र.सं	राज्य / संघ-राज्यक्षेत्र	स्कीम के अनुसार राज्य / संघ-राज्यक्षेत्रों में त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या	कुल लागत @ रु .75 करोड़	राज्य का हिस्सा करोड़ में	केन्द्र का हिस्सा करोड़ में	अब तक जारी की गई निधि रुपये करोड़ में
1	आंध्र प्रदेश	18	13.5	5.4	8.1	0.3
2	बिहार	54	40.5	16.2	24.3	2.025
3	छत्तीसगढ़	15	11.25	4.5	6.75	1.6875
4	पश्चिमी बंगाल	123	92.25	36.9	55.35	
5	अंदमान और निकोबार द्वीप	1	0.75	0	0.75	
6	दिल्ली	16	12	4.8	7.2	0.9 + 0.9
7	गुजरात	35	26.25	10.5	15.75	3.9375
8	असम	27	20.25	2.025	18.225	0.5625 + 1.125
9	अरुणाचल प्रदेश	3	2.25	0.225	2.025	
10	मिजोरम	3	2.25	0.225	2.025	0.50625
1 1	नागालैंड	1	0.75	0.075	0.675	0.3375
12	महाराष्ट्र	138	103.5	41.4	62.1	31.05
13	गोवा	2	1.5	0.6	0.9	
14	हिमाचल प्रदेश	6	4.5	0.45	4.05	0.16875
15	जम्मू - कश्मीर	4	3	0.3	2.7	
16	झारखंड	22	16.5	6.6	9.9	4.95
17	कर्नाटक	31	23.25	9.3	13.95	6.975
18	केरल	56	42	16.8	25.2	6.3
19	मध्य प्रदेश	67	50.25	20.1	30.15	15.075
20	मणिपुर	2	1.5	0.15	1.35	0.675
21	मेघालय	5	3.75	0.375	3.375	0.28125
22	ओडिशा	45	33.75	13.5	20.25	5.4
23	पंजाब	12	9	3.6	5.4	1.35
24	हरियाणा	16	12	4.8	7.2	1.8
25	चंडीगढ़	1	0.75	0	0.75	0.1875
26	राजस्थान	45	33.75	13.5	20.25	5.85
27	तमिलनाडु	14	10.5	4.2	6.3	0.525
28	त्रिपुरा	3	2.25	0.225	2.025	1.0125
29	तेलंगाना	36	27	10.8	16.2	1.35
30	उत्तर प्रदेश	218	163.5	65.4	98.1	2.775
31	उत्तराखंड	4	3	0.3	2.7	1.35
	कुल	1023	767.25	293.25	474	99.35625

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 551
जिसका उत्तर बुधवार, 5 फरवरी, 2020 को दिया जाना है

फास्ट टैक न्यायालय

+551. श्री गिरिधारी यादव :

श्रीमती रमा देवी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या फास्ट ट्रैक न्यायालयों के समुचित कार्यकरण के लिए आवश्यक निधि को जारी नहीं किया जा रहा है ;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त कार्य के लिए बिहार को कितनी निधि जारी की गई है और इसमें से कितनी राशि का उपयोग किया गया है ?

उत्तर

विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ङ) : त्वरित निपटान न्यायालयों और उसकी कार्यप्रणाली सहित अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना करना संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों अधिकार क्षेत्र में आता है। न्यायालयों में लंबित विनिर्दिष्ट प्रकृति के मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना हेतु उसकी आवश्यकता पर विचार करते हुए अर्थात् जघन्य प्रकृति के मामले, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों से संबंधित सिविल मामले और समाज के अन्य सीमांत वर्गों तथा भूमि अर्जन इत्यादि सहित ऐसे सिविल विवाद, जो पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं, के लिए संघ सरकार ने वर्ष 2015 -2020 की अवधि के दौरान 4144 करोड़ रुपये की लागत से 1800 त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना के लिए प्रस्ताव किया, 14वें वित्त आयोग ने अपने ज्ञापन में बिहार राज्य के लिए 147 त्वरित निपटान न्यायालय और 338.43 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। कमीशन ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया और इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों से आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त वित्तीय स्थान का प्रयोग करने के लिए कर न्यागमन (32 प्रतिशत से लेकर 42 प्रतिशत तक) रखने का आग्रह किया है।

पटना उच्च न्यायालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर 14वें वित्त आयोग के तत्वाधान के अधीन सिफारिश किए गए 147 त्वरित निपटान न्यायालयों में से वर्तमान में, बिहार राज्य में

57 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। विगत 3 वर्षों के दौरान त्वरित निपटान न्यायालयों के लिए निर्मुक्त और उपयोग की गई निधियां निम्नलिखित हैं :-

(रुपये करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	आबंटित निधियां	निर्मुक्त की गई निधियां	उपयोग की गई निधियां
2017-18	67.04	17.66	08.52
2018-19	67.686	18.574	08.33
2019-20	40.00	**10.43***	06.01

*31.12.2019 तक निर्मुक्त और उपयोग की गई निधियां

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 556
जिसका उत्तर बुधवार, 5 फरवरी, 2020 को दिया जाना है

अपीलों की संख्या को सीमित करना

556. श्री गुरजीत सिंह औजला :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की किसी दोषी द्वारा दाखिल की जा सकने वाली अपीलों की संख्या को सीमित करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार न्यायाधीशों के लिए उपलब्ध अवकाशों पर वास्तविक रूप से गौर कर रही है और न्यायाधीशों के लिए उपलब्ध अवकाशों को युक्तियुक्त बनाने के लिए कानून बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : दांडिक मामलों में अपील फाइल करने से संबंधित उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 372 से धारा 394 (अध्याय 29) में अंतर्विष्ट हैं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिससे कि किसी दोषसिद्ध द्वारा फाइल की जाने वाली अपीलों की संख्या को सीमित किया जा सके।

(ख) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अवकाश, संबंधित न्यायालयों द्वारा विनियमित किए जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों में अवकाश, संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा विनियमित किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय ने 27 मई, 2014 को उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 को अधिसूचित किया है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध किया गया है कि ग्रीष्म प्रावकाश की अवधि सात सप्ताह से अधिक नहीं होगी। इसके अतिरिक्त यह उपबंधित करता है कि प्रावकाश में और अवकाशों के दौरान न पड़ने वाले रविवारों को छोडकर, न्यायालयों और न्यायालय के कार्यालयों के लिए ग्रीष्म प्रावकाश की अवधि और अवकाशों की संख्या वह होगी जिसे मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियत और राजपत्र में अधिसूचित किया जाए जो एक सौ तीन दिवस से अधिक नहीं होगी।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 594
जिसका उत्तर बुधवार, 5 फरवरी, 2020 को दिया जाना है

न्यायालय कक्षों की कमी

594. डॉ. उमेश जी. जाधव :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करकृगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में हजारों न्यायालय कक्षों की कमी पर विचार किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने देश में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका हेतु आवासीय क्वार्टरों की कमी पर भी विचार किया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा निम्न न्यायपालिका के समक्ष आ रही अवसंरचनात्मक चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकारों की सहायता करने में कौन-सी बाधाएं आ रही हो, यदि कोई हों तो तथा इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत पद संख्या 18 ,812 के विरुद्ध 19,632 न्यायालय हॉल उपलब्ध है और 2 ,713 न्यायालय हॉल निर्माणाधीन है । इसके अतिरिक्त 17,412 आवासिक इकाइयां उपलब्ध है और 1,893 आवासिक इकाइयां निर्माणाधीन है । स्कीम का उद्देश्य, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत संख्या के सदृश जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायालय हॉलों और आवासिक इकाइयों की अवसरंचना उपलब्ध कराना है । स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या की तुलना में अधीनस्थ न्यायपालिका में उपलब्ध न्यायिक अवसंरचना का राज्यवार विवरण **उपाबंध-1** पर है ।

(घ) : यह राज्य सरकारों का प्राथमिक उत्तरदायित्व है कि वे उनके संबंधित राज्यों में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए न्यायिक अवसंरचना उपलब्ध कराए । उपरोक्त केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और आवासिक इकाइयों के निर्माण हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के संसाधनों का संवर्द्धन करने के लिए क्रियान्वित की जा रही है । पिछले पांच वर्षों में न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और आवासिक इकाइयों के संबंध में प्रचुर प्रगति हुई है । अब न्यायालयों हॉलों

और आवासिक इकाइयों की उपलब्ध पद संख्या को अधीनस्थ और जिला न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या 23,782 के सदृश करने पर ध्यान केंद्रित है।

****

उपाबंध-1

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 594 जिसका उत्तर तारीख 05.02.2020 को दिया जाना है का निर्दिष्ट विवरण।
अधीनस्थ न्यायिक जनशक्ति की तुलना में राज्य-वार न्यायिक अवसंरचना को दर्शाने वाला विवरण।

क्र.सं.	राज्य और संघ-राज्यक्षेत्र	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	न्यायालय हॉल		आवासीय इकाइयाँ	
				उपलब्ध	निर्माणाधीन	उपलब्ध	निर्माणाधीन
1	अंदमान और निकोबार	0	13	17	0	10	2
2	आंध्र प्रदेश	597	528	602	50	604	1 1
3	अरुणाचल प्रदेश	41	27	24	0	24	0
4	असम	441	412	371	67	294	31
5	बिहार	1925	1161	1476	88	1053	244
6	चंडीगढ़	30	29	31	0	30	0
7	छत्तीसगढ़	468	393	470	22	414	10
8	दादरा और नागर हवेली	3	3	3	0	3	0
9	दमण और दीव	4	3	5	0	5	0
10	दिल्ली	799	681	541	152	350	70
1 1	गोवा	50	40	53	28	27	4
12	गुजरात	1521	1185	1509	158	1323	168
13	हरियाणा	772	475	551	81	499	100
14	हिमाचल प्रदेश	175	153	160	8	151	0
15	जम्मू - कश्मीर	290	232	202	35	123	38
16	झारखंड	677	461	601	61	567	63
17	कर्नाटक	1345	1103	1100	51	1112	10
18	केरल	536	457	509	37	477	0
19	लक्षद्वीप	3	3	3	0	3	0
20	मध्य प्रदेश	2021	1620	1452	392	1517	212
21	महाराष्ट्र	2189	1941	2266	322	2044	179
22	मणिपुर	55	39	38	9	16	1
23	मेघालय	97	49	53	34	23	33
24	मिजोरम	64	46	43	26	29	8
25	नागालैंड	33	26	30	12	39	2
26	ओडिशा	919	770	664	179	616	84
27	पुडुचेरी	26	1 1	29	7	23	6
28	पंजाब	675	579	572	47	527	48
29	राजस्थान	1428	1120	1198	193	1031	5
30	सिक्किम	25	19	25	1	14	0
31	तमिलनाडु	1255	1080	1132	91	1253	49
32	तेलंगाना	474	333	448	28	417	1
33	त्रिपुरा	120	96	78	10	96	8
34	उत्तर प्रदेश	3416	2578	2312	317	2092	425
35	उत्तराखंड	294	228	228	66	185	10
36	पश्चिमी बंगाल	1014	918	836	141	421	71
कुल		**23782**	**18,812**	**19,632**	**2713**	**17,412**	**1893**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 657
जिसका उत्तर बुधवार, 5 फरवरी, 2020 को दिया जाना है

न्यायिक रिक्तियां

657. श्री राजमोहन उन्नीथन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के कुल कितने पदों को भरा जाना बाकी है ;

(ख) कुल कितने कॉलेजियम प्रस्ताव सरकार की स्वीकृति हेतु लंबित हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने उच्च न्यायालयों में न्यायिक रिक्तियां भरने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों की संख्या 395 है। प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में विहित प्रक्रिया के अनुसार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित प्रस्ताव सरकार और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के पास प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों के अधीन है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 666
जिसका उत्तर बुधवार, 5 फरवरी, 2020 को दिया जाना है

कानूनी सहायता

+666. श्री सुनील कुमार सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा जनता को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सरकारी वकील नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या है ;

(ख) वर्तमान में देश में सरकारी वकीलों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या सरकारी वकीलों के पद खाली पड़े हैं अथवा अधिक सरकारी वकीलों की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार का सभी को न्याय उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिले अथवा तहसीलों में निःशुल्क कानूनी परामर्श केन्द्र स्थापित करने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उत्तर

विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकण (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 जनसंख्या के पात्र वर्गों के लिए विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु पैनल वकीलों को पैनल में रखने हेतु मानदंड और प्रक्रिया का उपबंध करता है । पैनल वकीलों का चयन महान्यायवादी (उच्चतम न्यायालय के लिए), महाधिवक्ता (उच्च न्यायालय के लिए), जिला न्यायवादी या सरकारी प्लीडर (जिला और तालुका स्तर के लिए) और संस्था के मानीटरिंग और सलाहकारी समिति के परामर्श से विधिक सेवा संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा किया जाता है ।

(ख) : ऐसे व्यक्तियों को, जो ऐसी सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं, विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए संपूर्ण देश में राज्य और जिला स्तर पर विधिक सेवा संस्थाओं में कुल 61,295 वकीलों को पैनल में रखा गया है ।

(ग) : पैनल वकीलों को कार्यभार के आधार पर विधिक सेवा संस्थानों द्वारा पैनल में रखा जाता है । इस समय, पैनल वकीलों की अपेक्षित संख्या विधिक सेवा संस्थानों में उपलब्ध है ।

(घ) और (ड.) : विधिक सेवा संस्थाओं की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधि सेवा उपलब्ध कराने के लिए तालुका न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक सभी स्तरों पर विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन की गई है । विधिक सेवा संस्थाएं, जिसमें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, 36 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, सभी उच्च न्यायालयों में 36

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियां, 664 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और 2254 तालुका विधिक सेवा समितियां स्थापित की गई हैं।

विधिक सेवा संस्थाओं ने अतिथियों को विधिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख कार्यालयों की स्थापना की है। 23,000 से अधिक विधिक सेवा क्लिनिक की स्थापना कारागारों, न्यायालयों, किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबीएस), सामुदायिक केंद्रों, गांव / ग्रामीण क्षेत्रों और विधि महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों में की गई है। इन केंद्रों में नि:शुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराई जाती है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 670
जिसका उत्तर बुधवार, 5 फरवरी, 2020 को दिया जाना है

बंबई उच्च न्यायालय में लंबित मामले

670. श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धनोरकर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) बंबई उच्च न्यायालय में वर्तमान में लंबित मामलों की संख्या कितनी है और उन मामलों की संख्या कितनी है जो विगत दस वर्षों से लंबित है ;

(ख) वर्तमान में बंबई उच्च न्यायालय में कोयला खनिकों से संबंधित मामलों की संख्या कितनी है और उन मामलों की संख्या कितनी है जो दस वर्षों से अधिक समय से लंबित है ; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उत्तर

विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : तारीख 29.01.2020 को राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) के वेब-पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार 2.67 लाख मामले बम्बई उच्च न्यायालय में लंबित हैं। 79,749 मामले बम्बई उच्च न्यायालय में दस वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। कोयला खनिकों से संबंधित मामलों के संबंध में डाटा राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) के वेब-पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है।

(ग) : न्यायालयों में मामलों का निपटान न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। किसी मामलें के निपटान में लगा समय बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि मामले का प्रवर्ग (सिविल या दांडिक), अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् बार, अन्वेषण, अधिकरण का सहयोग, भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता के अतिरिक्त गवाह और मुवक्किल, सहायक न्यायालय कर्मचारीवृंद और प्रक्रिया के लागू नियम।

न्यायालों में मामलों के निपटान में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। तथापि, संघ सरकार न्याय तक पहुँच में सुधार करने के लिए मामलों के तीव्र निपटान और मामलों की लंबितता में कमी करने के लिए प्रतिबद्ध है। संघ सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय न्यायिक परिदान और विधिक सुधार मिशन ने जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना (न्यायालय हॉल और आवासीय ईकाइयॉ) में सुधार करना, बेहतर न्यायिक परिदान के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का प्रभावन, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरा जाना, जिला, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय स्तर पर बकाया समिति द्वारा अनुसरण के माध्यम से लंबितता में कमी, अनुकल्पी विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना और

विशेष प्रकार के मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों का प्रारंभ सहित बहुत सी कार्यनीतिक पहलों को अंगीकृत किया है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 686
जिसका उत्तर बुधवार, 5 फरवरी, 2020 को दिया जाना है

न्यायालयों में लंबित मामले

686. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो :

श्री टी. आर. बालू :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या न्यायालयों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं ;

(ख) यदि हां, तो अधिकतर लंबित मामलों के न्यायकरण की स्थिति सहित, आज की तिथि अनुसार, पश्चिम बंगाल सहित देशभर में जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लंबित सिविल और फौजदारी मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने न्यायिक प्रक्रिया और सामाजिक मुद्दों से संबंधित मामलों के न्यायकरण में तेजी लाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या भारतीय न्यायिक प्रणाली में बड़ी चुनौतियां सरकार के समक्ष आ रही हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा नागरिक-केन्द्रित विधिक प्रणाली निर्मित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा के अनुसार 02.01.2020 को भारत के उच्चतम न्यायालय में 59,859 मामले लंबित हैं। राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) के वेबपोर्टल पर उपलब्ध डाटा के अनुसार 29.01.2020 तक, लगभग 3.19 करोड़ मामले विभिन्न जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित हैं। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों के पश्चिमी बंगाल राज्य सहित ब्यौरे उपाबंध-1 पर दिए गए हैं। राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर उपलब्ध डाटा के अनुसार 45.81 लाख मामले उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के ब्यौरे उपाबंध-2 पर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) : न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में हैं। न्ययालयों में मामलों का समय पूर्ण निपटान की चुनौती में अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृन्द और भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् बार, अनुसंधान अभिकरणों, साक्षियों तथा मुवक्किलों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का समुचित उपयोजन, सम्मिलित है।

संघ सरकार, तथापि, मामलों के त्वरित निपटान और मामलों के लंबन में कमी के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है जिसके अंतर्गत सामाजिक मुद्दों से संबंधित मामले भी हैं। न्याय के परिदान और

विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन ने कई रणनीतिक पहलों को अंगीकार किया है, जिनमें जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए (न्यायालय हालों और आवासीय इकाईयों) की अवंसरचना में सुधार, बेहतर न्याय के परिदान के लिए सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी(आई सी टी) का प्रभावन, उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरना; जिला, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के स्तर पर बकाया मामला समितियों द्वारा अनुवर्तन के माध्यम से लंबित मामलों में कमी, अनुकल्पी विवाद समाधान (ए डी आर) पर जोर और विशेष प्रकार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पहल सम्मिलित है। विभिन्न पहलों के अधीन पिछले पाँच वर्षों के दौरान उठाए गए मुख्य कदम निम्नानुसार हैं—

(क) : <u>जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार:-</u>

1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सी एस एस) के प्रारंभ से आज की तारीख तक 7453.10 करोड़ रु० जारी किए जा चुके हैं । जिसमें से 4008.80 करोड़ रु० (जो आज की तारीख तक जारी कुल रकम का 53.79% है) अप्रैल, 2014 से राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से 29.01.2020 तक बढ़कर 19,632 हो चुकी है और तारीख 30.06.2014 को आवासीय इकाईयों की संख्या 10,211 से बढ़कर 29.01.2020 तक 17,412 हो चुकी है । इसके अतिरिक्त, 2,713 न्यायालय हाल और 1893 आवासीय इकाईयां निर्माणाधीन हैं।

(ख) : <u>बेहतर न्याय के परिदान के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) का प्रभावन:-</u>

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में समर्थ करने के लिए संपूर्ण देश में सरकार ई – न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है। वर्ष 2014 से आज तारीख तक कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या 13,672 से बढ़कर 16,845 हो चुकी है और 3,173 की वृद्धि दर्ज की गई है । सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में नया और उपयोक्ता अनुकूल मामला सूचना सॉफ्टवेयर विकसित करके लगाया गया है। सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में, एन जे डी जी पर इन कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों के संबंध में 12.97 करोड़ लंबित और निपटाए गए मामलों तथा 11.15 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों से संबंधित मामला प्रास्थिति सूचना उपलब्ध है। मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को ई न्यायालय सेवाऐं जैसे मामला रजिस्टर करने, मामला सूची, मामले की प्रास्थिति, दैनिक आदेशों और अंतिम निर्णयों के ब्यौरे सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में ई न्यायालय बेव पोर्टल न्यायिक सेवा केन्द्रों (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ईमेल सेवा, एस एम एस पुश एण्ड पुल सर्विस के माध्यम से उपलब्ध हैं। 3240 न्यायालय परिसरों और 1272 तत्स्थानी जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान की गई है।

(ग) : <u>उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों को भरना:-</u>

01.05.2014 से 30.01.2020 की अवधि के दौरान, उच्चतम न्यायालय में 35 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई । उच्च न्यायालयों में 515 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 435 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए । उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत

संख्या मई 2014 में 906 से वर्तमान में बढ़कर 1079 हो गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत संख्या निम्नानुसार बढाई गई है:-

तारीख	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या
31.12.2013 को	19,518	15,115
29.01.2020 को	23,782	18,812

(घ) : <u>बकाया मामला समिति द्वारा / अनुवर्ती कार्यवाही के माध्यम से लंबित मामलों में कमी</u> अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए उच्च न्यायालयों में बकाया मामला समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया मामला समितियों की स्थापना की गई है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कदम विरचित करने के लिए एक बकाया मामला समिति का गठन किया है।

(ङ) : <u>अनुकल्पी विवाद समाधान (ए डी आर) पर जोर</u>: वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 (20 अगस्त 2018 को यथा संशोधित) बाध्यकारी पूर्व संस्थापन मध्यकता और वाणिज्यिक विवादोँ के परिनिर्धारण को नियत करता है। माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 में समय सीमा विहित करके विवादोँ के त्वरित समाधान को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा संशोधन किया गया है।

(च) <u>विशेष प्रकार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पहल:</u> चौदहवें वित्त आयोग ने सरकार के राज्यों में न्यायिक तंत्र को मजबूत करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए वरिष्ठ नागरिकों, स्त्रियों, बालकों आदि से संबंधित मामलों हेतु त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना सम्मिलित हैं, और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रुप में प्रदान के गए राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। 30.09.2019 को जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बालकों के विरूद्ध अपराधों, कुटुम्ब और वैवाहिक विवादों आदि के लिए 704 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं। निर्वाचित सांसदों/विधायकों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए दस(10) विशेष न्यायालय नौ(9) राज्यों (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक में 1 और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में 2) में कार्य़ कर रहे हैं और सरकार द्वारा इन राज्यों को उचित अनुपात में निधियां जारी की गई हैं। और, सरकार ने भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और लैंगिक अपराधों से बालकों की सुरक्षा अधिनियम, 2012 के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के त्वरित निपटान हेतु संपूर्ण देश में 1023 विशेष त्वरित न्यायालय (एफ टी एस सी) स्थापित करने के लिए एक स्कीम का अनुमोदन किया है। आज तारीख तक, 648 विशेष त्वरित न्यायालयों की स्थापना हेतु 26 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्कीम में सम्मिलित हुए है, जिसके अंतर्गत 363 विशिष्ट पोक्सो न्यायालय भी हैं। (100 करोड़ रुपये के कुल आबंटन में से) 99.35 करोड़ रुपये इन 26 राज्यों को पहली किश्त के रुप में पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

(ङ) : 16,845 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण तथा ई- न्यायालयो परियोजना फेज-2 के अधीन आई सी टी समर्थकरण के माध्यम से, मुवक्किलों, अधिवक्ताओं और न्यायपालिका को कई सेवाएं प्रदान की गई हैं, जो न्यायिक सेवाओं के त्वरित परिदान को सुकर बनाती हैं। ई-न्यायालय सेवाएं जैसे मामला रजिस्टर करने, मामला सूची, मामले की प्रास्थिति, दैनिक आदेशों और अंतिम

निर्णयों के ब्यौरे सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में ई-न्यायालय वेब पोर्टल न्यायिक सेवा केंद्रों (जे एस सी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई मेल सेवा, एस एम एस पुश एण्ड पुल सर्विस के माध्यम से उपलब्ध है। सामान्य सेवा केंद्रों (सी एस सी) के माध्यम से ई-न्यायालय सेवाओं का एकीकरण सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है। संपूर्ण देश में सभी सी एस सी अवस्थानों पर डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से ई-न्यायालय सी एन आर सेवा समर्थ बनाई गई है। परियोजना के अधीन आनलाइन प्लेटफार्म के रूप में सृजित जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी), देश के कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधित सूचना प्रदान करता है। वर्तमान में, सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं; इन कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों से संबंधित 12.97 करोड़ से अधिक लंबित तथा निपटाऐ गए मामलों और 11.15 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में मामले की प्रास्थिति जान सकते हैं। वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा 3240 न्यायालय परिसरों और 1272 तत्स्थानी जेलों के बीच समर्थ बनाई गई है।

****

उपाबंध-1

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों का राज्यवार ब्यौरा (तारीख 29.01.2020 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य / संघ-राज्यक्षेत्रों का नाम	लंबित मामले (सिविल)	लंबित मामले (दांडिक)	जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की कुल संख्या $ $
1.	अंदमान और निकोबर द्वीप	-------	-------	------
2.	आंध्र प्रदेश	310,520	254,173	564,693
3.	तेलंगाना	245,477	320,930	566,407
4.	अरुणाचल प्रदेश	--------	--------	-------
5.	असम	68,310	229,062	297,372
6.	बिहार	400,260	2475453	2875713
7.	चंडीगढ़	18,242	30020	48,262
8.	छत्तीसगढ़	57,124	222,286	279,410
9.	दादर और नागर हवेली	1421	1612	3033
10.	दमण और दीव	1156	1154	2310
11.	दिल्ली	200,714	665,551	866,265
12.	गोवा	13,614	11199	24,813
13.	गुजरात	428,268	1183091	1611359
14.	हरियाणा	314,158	554,962	869,120
15.	हिमाचल प्रदेश	123,147	167,318	290,465
16.	जम्मू - कश्मीर	73,843	103,411	177,254
17.	झारखंड	68,734	317,330	386,064
18.	कर्नाटक	744,877	810,740	1555617
19.	केरल	402,141	892,769	1294910
20.	लद्दाख	155	295	450
21.	लक्षद्वीप	--------	--------	------
22.	मध्य प्रदेश	330,157	1119226	1449383
23.	महाराष्ट्र	1232698	2533702	3766400
24.	मणिपुर	6106	3720	9826
25.	मेघालय	2366	6481	8847
26.	मिजोरम	1161	1383	2544
27.	नागालैंड	--------	--------	---------
28.	ओडिशा	262,517	982,315	1244832
29.	पंजाब	276,208	363,475	639,683
30.	राजस्थान	435,695	1263473	1699168
31.	सिक्किम	527	775	1302
32.	तमिलनाडु	651,866	501,396	1153262
33.	पुडुचेरी	--------	---------	----------
34.	त्रिपुरा	7559	17550	25109
35.	उत्तर प्रदेश	1743565	5947401	7690966
36.	उत्तराखंड	34760	173,251	208,011
37.	पश्चिमी बंगाल	513,611	1776853	2290464
कुल		**8970957**	**22932357**	**31903314**

टिप्पण : अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड राज्यों, और **लक्षद्वीप** तथा **पुडुचेरी संघ-राज्यक्षेत्रों** में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित डाटा एनजेडीजी के वेब-पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के** संबंध में डाटा एनजेडीजी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है

उपाबंध-2

विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों का ब्यौरा (तारीख 29.01.2020 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	उच्च न्यायालयों का नाम	लंबित मामले (सिविल)	लंबित मामले (दांडिक)	रिट	उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या
1.	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	157,303	327,480	247,456	732,239
2.	कलकत्ता उच्च न्यायालय	21,708	198	0	21,906
3.	गुवाहाटी उच्च न्यायालय	18056	9374	20139	47,569
4.	तेलंगाना उच्च न्यायालय	84,687	30,769	104,293	219,749
5.	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	70,264	30,485	95,804	196,553
6.	बंबई उच्च न्यायालय	167,890	31,266	68653	267,809
7.	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय	19,924	27,192	23117	70,233
8.	दिल्ली उच्च न्यायालय	33,291	21014	25,742	80,047
9.	गुजरात उच्च न्यायालय	42,888	40754	46,338	129,980
10.	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	32,473	7910	18163	58,546
11.	जम्मू - कश्मीर उच्च न्यायालय	39,770	8142	27701	75,613
12.	झारखंड उच्च न्यायालय	15,724	43220	24,755	83,699
13.	कर्नाटक उच्च न्यायालय	138,798	34,964	74523	248,285
14.	केरल उच्च न्यायालय	86,827	45217	66,695	198,739
15.	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय	119,334	136,191	105,560	361,085
16.	मणिपुर उच्च न्यायालय	3462	344	0	3806
17.	मेघालय उच्च न्यायालय	433	96	585	1114
18.	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय	219,488	208,805	113,227	541,520
19.	राजस्थान उच्च न्यायालय	215,790	122,203	134,248	472,241
20.	सिक्किम उच्च न्यायालय	78	59	100	237
21.	त्रिपुरा उच्च न्यायालय	883	402	1088	2373
22.	उत्तराखंड का उच्च न्यायालय	25,370	14,689	1	40,060
23.	मद्रास उच्च न्यायालय	257,953	45,145	100,078	403,176
24.	उड़ीसा उच्च न्यायालय	40,633	43,962	66,816	151,411
25.	पटना उच्च न्यायालय	95,047	78,582	0	173,629
कुल		**1908074**	**1308463**	**1365082**	**4581619**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *52
जिसका उत्तर बुधवार, 5 फरवरी, 2020 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय की बहुभाषी एप

+*52. श्री अनिल फिरोजिया :

श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंदरिया :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा आरंभ 'उच्चतम न्यायालय विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर' नामक नई एप कब तक कार्यरत होने की संभावना है ;

(ख) उन भाषाओं की संख्या कितनी है जिनमें विधिक कार्यवाहियों के बारे में अद्यतन जानकारी दी जायेगी ;

(ग) क्या सूचना को दृष्टिबाधित व्यक्तियों तक पहुंचाने का भी प्रावधान किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या निकट भविष्य में प्रिन्ट अक्षम नागरिकों सहित देश के समस्त नागरिकों को विधिक जानकारी की प्राप्ति में अभिवृद्धि करने हेतु कोई अन्य नई डिजिटीकरण पहल की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ङ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 52 जिसका उत्तर तारीख 05.02.2020 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(क) : उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को स्थानीय भाषाओं में आसान रीति से समझने हेतु भारत की आम जनता को समर्थ बनाने की दृष्टि से एसयूवीएएस (उच्चतम न्यायालय विधिक अनुवाद साफ्टवेयर) को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा आईआईटी और आईआईआईटी के विशेषज्ञों की सहायता तथा भारत सरकार के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग और तकनीकी सहायता से एक अग्रणी पहल के रूप में, विकसित किया गया है।

एसयूवीएएस का प्रारंभिक विकास वर्तमान में देश के 18 उच्च न्यायालयों में परीक्षण, प्रशिक्षण और शोधन चरण में है। कार्य में निम्नलिखित विषय प्रवर्गों के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता के अधीन उद्भूत मामलों से संबंधित निर्णयों का अनुवाद करना सम्मिलित है:

1. श्रम मामले ;
2. किराया अधिनियम मामले ;
3. भूमि अर्जन और अधिग्रहण मामले ;
4. सेवा मामले ;
5. प्रतिकर मामले ;
6. दांडिक मामले ;
7. कुटुंब विधि मामले ;
8. साधारण सिविल मामले ;
9. स्वीय विधि मामले ;
10. धार्मिक और पूर्त विन्यास मामले ;
11. साधारण धन और बंधक मामले ;
12. सरकारी स्थान (बेदखली) अधिनियम मामलों के अधीन बेदखली;
13. भूमि विधियां और कृषि अभिधृतियां ; और
14. उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मामले।

अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी, बंगला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल और तेलुगू भाषाओं में क्रियाशील है।

एक बार उपरोक्त यथा उल्लिखित परीक्षण, प्रशिक्षण और शोधन का प्रारंभिक चरण पूरा हो जाता है और सुविधा क्रियाशील हो जाती है, यह सुसंगत उच्च न्यायालयों में पूर्ण रूप से कार्य करने लगेगा।

(ख) : उच्चतम न्यायालय का शासकीय बहुभाषा मोबाइल ऐप, छह भाषाओं अर्थात् हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, मराठी, तमिल और तेलुगू भाषाओं में विधिक कार्यवाहियों के बारे में अपडेट उपलब्ध कराता है।

(ग) और (घ) : वर्तमान में उच्चतम न्यायालय का शासकीय मोबाइल ऐप दृष्टि बाधित व्यक्तियों को सूचना तक पहुंच बनाने के लिए पृथक रूप से सुसज्जित नहीं है।

(ङ) : ई-न्यायालय परियोजना के चरण 2 के अधीन 16,845 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण और आईसीटी समर्थ बनाने के माध्यम से मुवक्किलों, अधिवक्ताओं और न्यायपालिका को विभिन्न सेवाएं प्रदान की गई हैं, जो न्यायिक सेवाओं के त्वरित प्रदान को सुकर बनाती है । ई-न्यायालय सेवाएं जैसे कि मामला रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, मामला सूची, मामला प्रास्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को ई-न्यायालय वैब पोर्टल, सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल ऐप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश और पुल सेवाओं के माध्यम से उपलब्ध है । सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससीएस) के माध्यम से ई-न्यायालय सेवाओं का एकीकरण सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है । ई-न्यायालय सीएनआर सेवा संपूर्ण देश में सभी सीएससी स्थानों में डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से परिचालित की गई है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आंकड़ा ग्रिड (एनजेडीजी) ने परियोजना के अधीन एक ऑन लाइन प्लेटफार्म सृजित किया है जो देश के कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधित सूचना प्रदान करता है । वर्तमान, में सभी पणधारी जिसके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी है, इन कंप्यूटरीकृत न्यायालयों से संबंधित 12.97 करोड़ से अधिक लंबित और निपटाए गए मामलों तथा 11.15 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में मामला प्रास्थिति सूचना तक पहुंच सकते हैं । विडियो कान्फ्रैसिंग सुविधा 3240 न्यायालय परिसरों और 1272 तत्स्थानी कारागारों में परिचालित की गई है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2114
जिसका उत्तर बुधवार, 4 मार्च, 2020 को दिया जाना है

तेजाबी हमलों से पीड़ितों को कानूनी सहायता

2114. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे :
श्री विजय कुमार दुबे :
श्री धनुष एमो कुमार :
श्री सोयम बापू राव :
श्री कुलदीप राय शर्मा :
श्री जी. सेल्वम :
श्री रेबती त्रिपुरा :
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले :
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटिल :
डॉ. सुभाष रामराव भामरे :
श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस :
श्री सुनील दतात्रेय तटकरे :
श्री गौतम सिगामणि पोन :
श्री बी. मणिक्कम टैगोर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने तेजाबी हमलों के शिकार लोगों को कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के तहत कानूनी सहायता प्रदान करने वाले तेजाबी हमले से पीड़ितों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के बारे में तेजाबी हमलों के पीड़ितों में जागरूकता पैदा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने अदालतों में प्राथमिकता के आधार पर उनके मामलों को लेने के लिए तेजाबी हमले से पीड़ितों के लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और देश में विभिन्न न्यायालयों में लंबित तेजाबी हमले के मामलों की संख्या कितनी है ; और

(च) तेजाबी हमलों से पीड़ितों के मामलों के समयबद्ध तरीके से त्वरित निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (च) : अम्ल हमले के पीड़ितों को विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन नालसा (अम्ल हमले के पीड़ितों के लिए विधिक सेवा) स्कीम, 2016 बनाई है। इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(i) अम्ल हमले के पीड़ितों को विद्यमान विधिक उपबंधों और प्रतिकर के लिए स्कीमों के अधीन फायदे उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तालुका स्तर पर विधिक सहायता और प्रतिनिधित्व सुदृढ करना ;

(ii) अम्ल हमले के पीड़ितों के लिए चिकित्सीय प्रसुविधाओं और पुनर्वास सेवाओं की प्राप्ति तक पहुंच को सुकर बनाना;

(iii) अम्ल हमले के पीड़ितों में हकदारियों के बारे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक समितियों, पैनल वकीलों, परा विधिक स्वयंसेवियों और विधिक सेवा क्लिनिकों के माध्यम से जागरूकता का सृजन करना और फैलाना;

(iv) पैनल वकीलों, परा विधिक स्वयंसेवियों, विधिक सेवा क्लिनिकों में स्वयंसेवियों, सरकारी अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं, पुलिस कार्मिक, गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रशिक्षण, आरियंटेशन और संवेदनशील बनाने के कार्यक्रमों द्वारा सभी स्तरों पर क्षमता सुदृढ करना; और

(v)विभिन्न स्कीमों, विधियों आदि का अध्ययन करने के लिए शोध और दस्तावेजीकरण द्वारा अंतराल ज्ञात करना और समुचित प्राधिकारियों को उपचारात्मक सुझाव देना ;

उपलब्ध कराई जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान उन अम्ल हमले के पीड़ितों की संख्या जिन्हें इस स्कीम के अधीन प्रतिकर प्राप्त हुआ, निम्न प्रकार है:-

स्कीम के अधीन प्रतिकर प्राप्त करने वाले अम्ल हमले के पीड़ितों की संख्या		
वर्ष 2016-17	**वर्ष 2017-18**	**वर्ष 2018-19**
201	249	232

विधिक सेवा संस्थान अम्ल हमले के पीड़ितों की आवश्यकताओं के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिससे समाज पीड़ितों को ऐसा समर्थन उपलब्ध कराए जो उनके पुनर्वास के लिए आवश्यक हो। पैंफलेट पत्रक आदि वितरण करने के अलावा दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से भी जागरूकता फैलाई जा रही है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने तारीख 20.04.2015 को महिलाओं पर अम्ल हमले के मामलों को शीघ्र निबटाने के लिए एक परामर्शी जारी की है जिसमें राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से अम्ल हमले के मामलों की त्वरित जांच, विचारण लिए पूर्व-पहल पर उपाय करने और उन्हें एक निश्चित समय सीमा के भीतर निपटान करने का अनुरोध किया था।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2123
जिसका उत्तर बुधवार, 4 मार्च, 2020 को दिया जाना है

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम

2123. श्री ए. नारायण स्वामी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी जिलों में अ.जा./अ.ज.जा.(अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है जैसा कि अधिनियम में अधिदेशित है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां अभी तक विशेष न्यायालय स्थापित किया जाना है ; और

(ग) संबंधित राज्यों द्वारा उक्त न्यायालय स्थापित नहीं करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 (2016 का संख्यांक 1) द्वारा यथा संशोधित अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 यह विनिर्दिष्ट करती है कि शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक जिलों के लिए एक अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करेगी, परंतु ऐसे जिलों में जहां अधिनियम के अधीन कम मामले अभिलिखित किए गए हैं, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे जिलों के लिए सेशन न्यायालयों को, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय होना विनिर्दिष्ट करेगी। उपलब्ध सूचना के अनुसार, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल, अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमण और दीव, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और पुडुचेरी राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्रों ने जिला सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रुप में अभिहित किया है। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को लागू नहीं था। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अधिनियमन के पश्चात्, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण)

अधिनियम को 31.12.2019 से जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रों में लागू करवाया गया है। अरुणाचल प्रदेश तथा लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र ने इस प्रयोजन के लिए विशेष न्यायालयों को अभिहित नहीं किया है।

'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था', भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची (सूची-2) के अधीन राज्य के विषय हैं और राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अपनी अधिकारिता के भीतर अपराधों के निवारण, पता लगाने, रजिस्ट्रीकरण, अन्वेषण और अभियोजन , जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अपराध भी हैं, तथा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए भी प्राथमिक रुप से उत्तरदायी हैं। तथापि, केंद्रीय सरकार, समय-समय पर, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सलाह देती है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2136
जिसका उत्तर बुधवार, 4 मार्च, 2020 को दिया जाना है

ओडिशा में उच्च न्यायालय पीठ

+2136. श्री बसंत कुमार पांडा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिमी ओडिशा के लोगों की समस्याएं कम करने के लिए ओडिशा उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ का गठन करने का विचार है ;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और
(घ) इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

उत्तर
विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (घ) : उच्च न्यायालय की प्रधान न्यायपीठ से भिन्न किसी अन्य स्थान पर इसकी न्यायपीठों की स्थापना जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और वर्ष 2000 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 379 में शीर्ष न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार तथा संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति तथा सम्बद्ध राज्य के राज्यपाल की सहमति से अवसंरचना प्रदान करने और व्यय को पूरा करने की तैयारी को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार के पूर्ण प्रस्ताव पर सम्यक विचार करने के पश्चात की जाती है।

ओडिशा की राज्य सरकार ने मुवक्किलों को होने वाली असुविधाओं को कम करने के लिए ओडिशा के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र में ओडिशा उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने के लिए अनुरोध किया है । केन्द्रीय सरकार ने ओडिशा उच्च न्यायालय से अपना विचार प्रदान करने का अनुरोध किया है। वर्तमान में, सरकार के समक्ष ओडिशा उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने से संबंधित कोई पूर्ण प्रस्ताव नहीं है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2180
जिसका उत्तर बुधवार, 4 मार्च, 2020 को दिया जाना है

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के विचारण हेतु विशेष न्यायालय

2180. श्रीमती मेनका संजय गांधी :

श्री एस. आर. पार्थिबन :

श्री फिरोज़ वरुण गांधी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों के विचारण के लिए देशभर में अब तक स्थापित नए विशेष न्यायालयों की संख्या का ब्यौरा क्या है ;

(ख) न्यायालयों में पंजीकृत मामलों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध के अपराधों के लिए पूरे देश में 1070 विशेष न्यायालयों का गठन करने पर विचार कर रही है और यदि , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार महिलाओं और बच्चों को मामलों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जागरूकता और सहायता कार्यक्रम बनाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए अन्य मुद्दों से निपटने के लिए और अधिक न्यायालय स्थापित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को अग्रसर करने में सरकार ने केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन समयबद्ध रीति से, बलात्संग और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित विचारण और निपटान के लिए देश भर में कुल 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससीएस) की स्थापना करने के लिए एक स्कीम को अंतिम रूप प्रदान किया है । आज तक, 27 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से सहमति प्राप्त होने के पश्चात् 649 त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 99.43 करोड़ रूपये की रकम की केन्द्रीय अंश निधियां जारी की जा चुकी है ।

उच्च न्यायालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार, जनवरी, 2020 तक कार्यरत 195 त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससीएस) की संख्या **उपाबंध-1** पर दी गई है । 31 दिसंबर,

2019 तक लंबित, बलात्संग और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम से संबंधित मामलों के राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रोंवार ब्यौरे **उपाबंध-2** पर दिए गए है।

(घ) : सरकार ने 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में विपत्ति स्थल पर क्षेत्र संसाधनों की कंप्यूटर सहायता प्रेषण के साथ, विभिन्न आपातों के लिए अंतरराष्ट्रीय रुप से मान्यताप्राप्त संख्या अर्थात् 112 आधारित प्रणाली, पैन-भारत, एकल, इमरजेंसी रेसपांस सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) प्रचालित की है। गृह मंत्रालय ने प्रिंट, इलैक्टॉनिक और डिजीटल मीडिया में, 112 पर, जिसके अंतर्गत 112 इंडिया मोबाईल एप भी है, नागरिक जागरूकता अभियानों को आंरभ किया है।

(ङ) : 14वें वित्त आयोग ने विनिर्दिष्ट प्रकृति के मामलों अर्थात् जघन्य प्रकृति, महिलाओं, बालकों, ज्येष्ठ नागरिकों, समाज के अन्य कमजोर वर्गों के मामलों से संबंधित मामलों और पांच वर्ष से अधिक लंबित संपत्ति विवादों के सिविल के मामलों पर कार्यवाही करने के लिए वर्ष 2015-20 के दौरान 1800 त्वरित निपटान न्यायालयों (एफटीसीएस) की स्थापना करने के लिए भारत संघ के प्रस्ताव का समर्थन किया है। उसके लिए कर विचलन (32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत) के माध्यम से प्रदत्त बढ़े हुए राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है। उच्च न्यायालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 31-12-2019 तक देश में 828 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत थे।

****

उपाबंध-1

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2180 जिसका उत्तर तारीख 04.03.2020 को दिया जाना है।

त्वरित निपटान विशेष न्यायालय की स्कीम (जनवरी, 2020) के अधीन महिलाओं और बालिकाओं के लिए कार्यरत और स्थापित त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफसीटीएस) की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	स्थापित त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों **की संख्या**
मध्य प्रदेश	56
छत्तीसगढ़	15
दिल्ली	16
त्रिपुरा	03
झारखंड	22
राजस्थान	26
तेलंगाना	09
गुजरात	34
तमिलनाडु	14
कुल	**195**

उपाबंध-2

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2180 जिसका उत्तर तारीख 04.03.2020 को दिया जाना है।

बलात्संग और पॉक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों की प्रास्थिति (तारीख 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार)		
1	आंध्र प्रदेश	3897
2	असम	6227
3	अरुणाचल प्रदेश	315
4	मिजोरम	357
5	नागालैंड	89
6	महाराष्ट्र	21,691
7	गोवा	34
8	दमण और दीव	13
9	दादरा और नागर हवेली	27
10	छत्तीसगढ़	4159
1 1	पश्चिमी बंगाल	20,511
12	दिल्ली	11418
13	गुजरात	8372
14	हरियाणा	3707
15	पंजाब	1734
16	चंडीगढ़	113
17	बिहार	13,924
18	हिमाचल प्रदेश	1450
19	जम्मू - कश्मीर	1388
20	झारखंड	4630
21	केरल	10958
22	लक्षद्वीप	15
23	कर्नाटक	6310
24	मध्य प्रदेश	19981
25	मेघालय	864
26	ओडिशा	9471
27	राजस्थान	11159
28	सिक्किम	93
29	तमिलनाडु	5118
30	त्रिपुरा	601
31	तेलंगाना	6925
32	उत्तर प्रदेश	66,994
33	उत्तराखंड	1456
	कुल	**244001**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2183
जिसका उत्तर बुधवार, 4 मार्च, 2020 को दिया जाना है

ग्राम न्यायालय

+2183. श्री धर्मवीर सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लोगों को शीघ्र न्याय दिलाने हेतु ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे ग्राम न्यायालयों के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार लोगों को न्याय मिलने में हो रही देरी को ध्यान में रखते हुए ग्राम न्यायालय शुरू करेगी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 नागरिकों को उनके द्वार तक न्याय की पहुंच मुहैया कराने के प्रयोजन के लिए निचले स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना हेतु उपबंध करता है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 (1) के अनुसार, राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने के लिए उत्तरदायी हैं।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अभी तक ग्यारह राज्य सरकारों द्वारा 353 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें से 221 प्रचालन में हैं। अधिसूचित और प्रचालित ग्राम न्यायालयों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र. सं.	राज्य	अधिसूचित ग्राम न्यायालय	प्रचालित ग्राम न्यायालय
1	मध्य प्रदेश	89	87
2	राजस्थान	45	45
3	कर्नाटक	2	0
4	ओडिशा	22	16
5	महाराष्ट्र	39	24
6	झारखंड	6	1
7	गोवा	2	0
8	पंजाब	2	2
9	हरियाणा	3	2

10	उत्तर प्रदेश	113	14
11	केरल	30	30
कुल		**353**	**221**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2201
जिसका उत्तर बुधवार, 4 मार्च, 2020 को दिया जाना है

उच्च न्यायालय की नई खंडपीठ की स्थापना

2201. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में उच्च न्यायालय को नई खंडपीठों के स्थापना हेतु वित्तीय और तकनीकी दोनों प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राज्यों में काफी संख्या में वादों के लंबित होने का एक कारण नए न्यायालयों की कमी है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार को अविभाजित कोरापुट जिले में नए उच्च न्यायालय की स्थापना हेतु ओडिशा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : जी नहीं।

(ख) : प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) और (घ) : न्यायालयों में लंबित मामलों में वृद्धि अनेक कारकों पर निर्भर करती है जिसमें न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, भौतिक अवसंरचना, सहायक न्यायालय कर्मचारीवृंद की उपलब्धता के अतिरिक्त पणधारियों अर्थात बार, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों और वादकारियों का समनव्य तथा मामलों की मोनीटरी करने, ट्रैक करने तथा समुह सुनवाई के लिए नियमों और प्रक्रियाओ का समुचित रुप से लागू किया जाना भी सम्मिलित हैं।

(ङ) : ओडिशा की राज्य सरकार ने ओडिशा के पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्र में ओडिशा उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने का अनुरोध किया है। हालांकि यह प्रस्ताव, सभी पहलुओं से पूर्ण नहीं है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2251
जिसका उत्तर बुधवार, 4 मार्च, 2020 को दिया जाना है

बलात्कार के न्यायालयों में लंबित मामले

+2251. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में बच्चों तथा महिलाओं के साथ बलात्कार के लगभग एक लाख साठ हजार मामले लंबित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार विशेष रूप से बलात्कार के मामलों के निपटान के लिए एक हजार से अधिक फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना करने का है ;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार कितने ऐसे न्यायालयों की स्थापना की जा रही है तथा ये न्यायालय कब तक कार्य करना प्रारम्भ करेंगी ;

(घ) क्या सरकार का विचार मामलों के समयबद्ध निपटान के लिए कोई दिशानिर्देश जारी करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ङ) : दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को अग्रसर करने में, सरकार ने केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन, समयबद्ध रीति से, बलात्संग और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित विचारण और निपटान के लिए देश भर में कुल 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससीएस) की स्थापना करने के लिए एक स्कीम को अंतिम रूप प्रदान किया है । प्रस्तावित त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों के राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रोंवार ब्यौरे **उपाबंध-1** पर दिए गए है ।

आज तक, 27 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों जिन्होंने 649 त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए सहमति दी है, को वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 99.43 करोड़ रूपये की रकम की केन्द्रीय अंश निधियां जारी की जा चुकी है । उच्च न्यायालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 195 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय 31 जनवरी, 2020 तक पहले से ही स्थापित किए जा चुके है। ब्यौरे **उपाबंध-2** पर दिए गए है ।

उच्च न्यायालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 31 दिसंबर, 2019 तक बलात्संग और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 से संबंधित लंबित मामलों की प्रास्थिति

उपाबंध-3 पर दी गई है । त्वरित निपटान विशेष न्यायालय स्कीम के अनुसार, प्रत्येक ऐसे न्यायालयों से एक वर्ष में 165 मामलों का निपटान किया जाना अपेक्षित है जिसके लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को सूचना दे दी गई है।

****

उपाबंध-1

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2251 जिसका उत्तर तारीख 04.03.2020 को दिया जाना है।

प्रस्तावित त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) का राज्यों / संघ-राज्य-क्षेत्र का डाटा

क्र.सं.	राज्य / संघ-राज्य क्षेत्र का नाम	प्रस्तावित त्वरित निपटान विशेष न्यायालय
1	आंध्र प्रदेश	18
2	तेलंगाना	36
3	ए/एन द्वीप	01
4	अरुणाचल प्रदेश	03
5	असम	27
6	बिहार	54
7	चंडीगढ़	01
8	छत्तीसगढ़	15
9	गोवा	02
10	गुजरात	35
1 1	हरियाणा	16
12	हिमाचल प्रदेश	06
13	जम्मू- कश्मीर	04
14	झारखंड	22
15	कर्नाटक	31
16	केरल	56
17	मध्य प्रदेश	67
18	महाराष्ट्र	138
19	मणिपुर	02
20	मेघालय	05
21	मिजोरम	03
22	नागालैंड	01
23	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	16
24	ओडिशा	45
25	पंजाब	12
26	राजस्थान	45
27	तमिलनाडु	14
28	त्रिपुरा	03
29	उत्तराखंड	04
30	उत्तर प्रदेश	218
31	पश्चिमी बंगाल	123
	कुल	**1023**

उपाबंध-2

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2251 जिसका उत्तर तारीख 04.03.2020 को दिया जाना है।

त्वरित निपटान विशेष न्यायालय की स्कीम (जनवरी, 2020) के अधीन महिलाओं और बालिकाओं के लिए कार्यरत और स्थापित त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफसीटीएस) की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	स्थापित त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों **की संख्या**
मध्य प्रदेश	56

छत्तीसगढ़	15
दिल्ली	16
त्रिपुरा	03
झारखंड	22
राजस्थान	26
तेलंगाना	09
गुजरात	34
तमिलनाडु	14
कुल	**195**

उपाबंध-3

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2251 जिसका उत्तर तारीख 04.03.2020को दिया जाना है।

बलात्संग और पॉक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों की प्रास्थिति (तारीख 31.12.2019की स्थिति के अनुसार)		
1	आंध्र प्रदेश	3897
2	असम	6227
3	अरुणाचल प्रदेश	315
4	मिजोरम	357
5	नागालैंड	89
6	महाराष्ट्र	21,691
7	गोवा	34
8	दमण और दीव	13
9	दादरा और नागर हवेली	27
10	छत्तीसगढ़	4159
1 1	पश्चिमी बंगाल	20,511
12	दिल्ली	11418
13	गुजरात	8372
14	हरियाणा	3707
15	पंजाब	1734
16	चंडीगढ़	113
17	बिहार	13,924
18	हिमाचल प्रदेश	1450
19	जम्मू - कश्मीर	1388
20	झारखंड	4630
21	केरल	10958
22	लक्षद्वीप	15
23	कर्नाटक	6310
24	मध्य प्रदेश	19981
25	मेघालय	864
26	ओडिशा	9471
27	राजस्थान	11159
28	सिक्किम	93
29	तमिलनाडु	5118
30	त्रिपुरा	601
31	तेलंगाना	6925
32	उत्तर प्रदेश	66,994
33	उत्तराखंड	1456
	कुल	**244001**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2273
जिसका उत्तर बुधवार, 4 मार्च, 2020 को दिया जाना है

कुटुम्ब न्यायालय

+2273. श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना हेतु कोई पृथक योजना तैयार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) महाराष्ट्र में ओस्मानाबाद जिले में ऐसे कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना हेतु सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उक्त न्यायालयों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (घ) : कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 सुलह को बढ़ावा देने तथा विवाह और पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों का शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा कुटुम्ब न्यायालयों के गठन का उपबंध करता है। कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना राज्य सरकारों के अधिकार-क्षेत्र में है, जो संबंद्ध उच्च न्यायालयों के परामर्श से अपनी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार ऐसे न्यायालयों को स्थापित करती हैं । महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना तारीख 31 जनवरी, 2018 के अनुसार 4 फरवरी, 2018 से प्रभावी महाराष्ट्र के उसमानाबाद जिले में कुटुम्ब न्यायालय कार्य कर रहा है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *193
जिसका उत्तर बुधवार, 4 मार्च, 2020 को दिया जाना है

भारतीय न्यायिक सेवा

***193. श्री राजमोहन उन्नीथन :**

श्री पिनाकी मिश्रा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की न्यायपालिका में रिक्तियों को भरने के लिए अखिल भारतीय सेवा के रूप में भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना करने और समाज के हाशिए पर रह रहे वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्या य्रसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ख) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या*193 जिसका उत्तर तारीख 4 मार्च, 2020 को दिया जाना है के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) से (ख) : सरकार के दृष्टिकोण में, उचित ढंग से विरचित अखिल भारतीय न्यायिक सेवा संपूर्ण न्याय परिदान प्रणाली को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है । यह किसी समुचित अखिल भारतीय प्रतिभा चयन प्रणाली के माध्यम से उचित रुप से अर्हित नई विधिक प्रतिभा को समावेशित करने का अवसर प्रदान करने के साथ-साथ समाज के हाशिए पर रह रहे और वंचित वर्गों के समुचित प्रतिनिधित्व को समर्थ करके सामाजिक समावेशन के मुद्दे का भी समाधान करेगा।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (ए आई जे एस) की स्थापना के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव विरचित किया गया और उसे नवम्बर, 2012 में सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। देश में कुछ सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित करने के अलावा, यह न्यायपालिका में हाशिए पर रह रहे वर्गों तथा महिलाओं में से सक्षम व्यक्तियों के सम्मि लित किए जाने को सुकर बनाएगी। अप्रैल, 2013 में आयोजित मुख्य मंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में इस प्रस्ताव को कार्यसूची मद के रुप में सम्मिलित किया गया और यह विनिश्चय किया गया कि इस मुद्दे पर विचार और विमर्श तथा मनन करने की आवश्यकता है। इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से विचार मांगे गए थे । अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना पर राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के बीच मत भिन्नता थी। जबकि कुछ राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, किन्तु कुछ अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के पक्ष में नहीं थी, जबकि कुछ अन्य केंद्रीय सरकार द्वारा विरचित प्रस्ताव में परिवर्तन चाहती थीं।

सिक्किम और त्रिपुरा उच्च -न्यायालय अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के लिए सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव से सहमत हैं। इलाहाबाद, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा और उत्तराखंड उच्च न्यायालयों ने भर्ती के स्तर पर आयु अर्हताओं, प्रशिक्षण तथा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों के कोटा में परिवर्तन का सुझाव दिया। बाकी उच्च न्यायालयों ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। अधिकतर उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायपालिका पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालयों के पास ही रखना चाहते हैं। झारखंड और राजस्थान उच्च न्यायालयों ने इंगित किया है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन से संबंधित विषय विचाराधीन है। कलकत्ता , जम्मू-कश्मीर और गुवाहाटी उच्च न्यायालयों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैण्ड और पंजाब की राज्य सरकारें अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के पक्ष में नहीं हैं। महाराष्ट्र की राज्य सरकार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग (जे एम एफ सी) के स्तर से भर्ती चाहती है, जो भारत के संविधान में सम्मिलित अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के उपबंधों के अनुरुप नहीं है। बिहार, छत्तीसगढ़, मणिपुर, ओडिशा और उत्तराखंड की राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार द्वारा विरचित प्रस्ताव में परिवर्तन चाहती हैं। हरियाणा की राज्य सरकार ने कथन किया है कि प्रस्ताव न्यायोचित प्रतीत होता है। मिजोरम की राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा , भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केंद्रीय सेवाओं के समान ही अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन का समर्थन किया है। जम्मू -कश्मीर राज्य की तब की सरकार ने वर्णित किया है कि संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में जोडे गए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन हेतु भारत के संविधान के उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं होते हैं। बाकी राज्यों से अब तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं।

जिला न्यायाधीशों के पद पर भर्ती में सहायता हेतु तथा सभी स्तरों पर न्यायाधीशों /न्यायिक अधिकारियों की चयन प्रक्रिया के पुनर्विलोकन के लिए न्यायिक सेवा आयोग के सृजन से संबंधित मामला भी मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन की कार्यसूची में सम्मिलित किया गया, जो 03 और 04 अप्रैल, 2015 को आयोजित किया गया, जिसमें त्वरित ढंग से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु

रिक्तियों को भरने के लिए विद्यमान व्यवस्था में समुचित पद्धति विकसित करने के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों को ही निर्णय करने हेतु स्वतंत्रता देने का संकल्प किया गया। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना हेतु प्रस्ताव, उस पर प्राप्त उच्च न्यायालयों तथा राज्य सरकारों के विचारों के साथ 05 अप्रैल, 2015 को आयोजित मुख्य मंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन की कार्यसूची में सम्मिलित किया गया था। तथापि, इस विषय पर कोई प्रगति नहीं हुई।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन करने हेतु प्रस्ताव, 16 जनवरी, 2017 को विधि और न्याय राज्य मंत्री, भारत के महान्यायवादी, भारत के महासॉलिसिटर, न्याय विभाग, विधि कार्य तथा विधायी विभाग के सचिवों की उपस्थिति में विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में पात्रता, आयु, चयन मानदण्ड, अर्हता, आरक्षण आदि बिन्दुओं पर पुन: चर्चा की गई। पणधारियों के बीच विद्यमान मत भिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए , सरकार साझा सहमति तक पहुंचने के लिए पणधारियों के साथ परामर्श की प्रक्रिया में लगी हुई है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *196
जिसका उत्तर बुधवार, 4 मार्च, 2020 को दिया जाना है

विभिन्न न्यायालयों में रिक्तियां

***196. श्री अनुभव मोहंती :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न न्यायालयों में गैर-न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों की रिक्तियों की स्थिति क्या है ;

(ख) देश के विभिन्न न्यायालयों में गैर-न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों की रिक्तियों को समय पर भरना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ताकि न्यायालय निर्विघ्न रूप से तथा दक्षतापूर्वक कार्य करें और अल्प अवधि में अधिकतम मामलों को निपटाया जा सके ; और

(ग) क्या सरकार विहित अनिवार्य योग्यताओं को पूरा करने वाले तथा बुनियादी परीक्षाओं को पास करने वाले उम्मीदवारों में से संविदा आधार पर इन रिक्तियों को भरने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

<u>लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *196 जिसका उत्तर 4 मार्च, 2020 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।</u>

(क) से (ग) : अधीनस्थ न्यायालयों में चयन और नियुक्तियां संबद्ध उच्च न्यायालयों तथा संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आती हैं। इन रिक्तियों की सूचना संघ सरकार में नहीं रखी जाती है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *198
जिसका उत्तर बुधवार, 4 मार्च, 2020 को दिया जाना है

लॉ रिपोर्ट

***198. श्री जसबीर सिंह गिल :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय नियमित रूप से लॉ रिपोर्ट प्रकाशित कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित न्यायालयों में से उन न्यायालयों का ब्यौरा क्या है जो नियमित रूप से लॉ रिपोर्ट का प्रकाशन नहीं कर रहे हैं और इन रिपोर्टों का नियमित प्रकाशन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ;

(घ) क्या सरकार लॉ रिपोर्टों के प्रकाशन के लिए निजी प्रकाशकों की सेवाएं लेने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) कुछ निजी प्रकाशकों द्वारा बनाए जा रहे वाणिज्यिक एकाधिकार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ङ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *198 जिसका उत्तर तारीख 4 मार्च, 2020 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

(क) से (ङ) : लॉ रिपोर्टों का प्रकाशन एक ऐसा मामला है जो न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र के भीतर आता है। उच्चतम न्यायालय के वर्णनीय विनिश्चय, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टस (एससीआर) में प्रकाशित किए जाते है। एससीआर उच्चतम न्यायालय के वर्णनीय विनिश्चयों का एक शासकीय जर्नल है, जो उच्चतम न्यायालय के प्राधिकार के अधीन प्रकाशित किया जाता है। उच्च न्यायालयों के संबंध में, प्राप्त सूचना के अनुसार, कुछ उच्च न्यायालय जैसे कि मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, सिक्किम, मद्रास, राजस्थान तथा कलकत्ता लॉ रिपोर्टों का प्रकाशन कर रहे है जबकि कतिपय उच्च न्यायालय जैसे कि उत्तराखंड़, मणिपुर, पटना, आन्ध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, गुवाहाटी और तेलंगाना किसी लॉ रिपोर्ट का प्रकाशन नहीं कर रहे है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2273
जिसका उत्तर बुधवार, 4 मार्च, 2020 को दिया जाना है

कुटुम्ब न्यायालय

+2273. श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना हेतु कोई पृथक योजना तैयार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) महाराष्ट्र में ओस्मानाबाद जिले में ऐसे कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना हेतु सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उक्त न्यायालयों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (घ) : कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 सुलह को बढ़ावा देने तथा विवाह और पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों का शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा कुटुम्ब न्यायालयों के गठन का उपबंध करता है। कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना राज्य सरकारों के अधिकार-क्षेत्र में है, जो संबंद्ध उच्च न्यायालयों के परामर्श से अपनी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार ऐसे न्यायालयों को स्थापित करती हैं । महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना तारीख 31 जनवरी, 2018 के अनुसार 4 फरवरी, 2018 से प्रभावी महाराष्ट्र के उसमानाबाद जिले में कुटुम्ब न्यायालय कार्य कर रहा है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2764
जिसका उत्तर बुधवार, 11 मार्च, 2020 को दिया जाना है

उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद

+2764. श्री विनायक भाऊराव राऊत :

श्री बंदी संजय कुमार :

श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी :

डॉ. जी. रणजीत रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेलंगाना और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय सहित उच्च न्यायालयों में बड़ी संख्या में न्यायाधीशों के पद रिक्त है ;

(ख) यदि हां, तो ये पद कब से खाली पड़े हैं और इसके क्या कारण है ;

(ग) सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाये जाने का विचार है ; और

(घ) क्या पात्र उम्मीदवारों को उनके संबंधित राज्यों के अनुसार वरीयता दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्या य्रसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (घ) : तारीख 01.03.2020 तक, तेलंगाना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 24 स्वीकृत पदों की तुलना में न्यायाधीशों के 11 पद रिक्त हैं और बम्बई उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 94 स्वीकृत पदों की तुलना में न्यायाधीशों के 23 पद रिक्त हैं ।

प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, रिक्तियों के होने से छः माह पूर्व बार और संबंधित राज्य न्यायिक सेवा से अर्हित अभ्यर्थियों में से दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ परामर्श से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायामूर्ति द्वारा प्रस्तावों का आरंभ किया जाना अपेक्षित है ।

रिक्तअ पदों का भरा जाना कार्यपालिका और न्याय्यपालिका के मध्यप एक सतत् , एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया है । इसके लिए राज्य और केन्द्रीय दोनों स्तर पर विभिन्नत सांविधानिक

प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है। अतः न्यांयाधीशों के रिक्तं पदों को भरे जाने के लिए समय सीमा उपदर्शित नहीं की जा सकती है । यद्यपि, विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रतापूर्वक भरे जाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है , लेकिन रिक्तिययां, न्याशयाधीशों की सेवानिवृत्ति, त्या गपत्र या उन्नकयन के कारण और न्याियधीशों की पद संख्यान में वृद्धि के कारण उद्भूत होती रहती हैं ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2770
जिसका उत्तर बुधवार, 11 मार्च, 2020 को दिया जाना है

ग्राम न्यायालय

+2770. श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे :

श्री देवजी पटेल :

सुश्री प्रतिमा भौमिक :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान और त्रिपुरा सहित देश में कार्यरत ग्राम न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) अपील दायर करने की संभावना और प्रक्रिया सहित उक्त ग्राम न्यायालयों की संरचना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सभी राज्यों में ग्राम न्यायालयों की स्थापना में देरी के कारण क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अभी तक ग्यारह राज्यों द्वारा 353 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें से 221 प्रचालन में हैं। अधिसूचित और प्रचालित ग्राम न्यायालयों की संख्या का राजस्थान राज्य सहित राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र. सं.	राज्य का नाम	अधिसूचित ग्राम न्यायालय	प्रचालित ग्राम न्यायालय
1	मध्य प्रदेश	89	87
2	राजस्थान	45	45
3	कर्नाटक	2	0
4	ओडिशा	22	16
5	महाराष्ट्र	39	24
6	झारखंड	6	1
7	गोवा	2	0
8	पंजाब	2	2
9	हरियाणा	3	2
10	उत्तर प्रदेश	113	14
11	केरल	30	30
कुल		**353**	**221**

त्रिपुरा राज्य में कोई भी ग्राम न्यायालय अधिसूचित या प्रचालित नहीं किया गया है।

(ख) : ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 3 (3) उपबंध करती है कि ग्राम न्यायालय तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन स्थापित साधारण न्यायालयों के अतिरिक्त होंगे। राज्य सरकार, उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 (5) के निबंधनानुसार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, प्रत्येक ग्राम न्यायालय के लिए एक न्यायाधिकारी की नियुक्ति करेगी। दांडिक मामलों और

सिविल मामलों में ग्राम न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश से अपील के उपबंध उक्त अधिनियम की धारा 33 और धारा 34 में अधिकथित हैं, जो उपाबंध पर दिया गया है । ग्राम न्यायालयों को प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के रुप में माना जाएगा और अधिनियम के अधीन उपबंधित विस्तार तक सिविल और दांडिक दोनों अधिकारिता में कार्यवाही कर सकेगा । न्यायाधिकारी सचल न्यायालयों को आयोजित करने और कार्यवाहियों को संचालित करने के लिए अपने अधिकारिता के अधीन ग्रामों का आवधिक रुप से निरीक्षण करता है।

(ग) : अधिनियम की धारा 3 (1) के अनुसार राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, जिले में मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत या मध्यवर्ती स्तर पर निकटवर्ती पंचायतों के समूह के लिए या जहां किसी राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर कोई पंचायत नहीं है वहां निकटवर्ती ग्राम पंचायतों के समूह के लिए एक या अधिक ग्राम न्यायालय स्थापित कर सकेगी । केन्द्रीय सरकार की ग्राम न्यायालय की स्थापना में कोई भूमिका नहीं है । तथापि, ग्राम न्यायालयों के प्रचालन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर तारीख 7 अप्रैल, 2013 को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा की गई थी । सम्मेलन में यह विनिश्चय किया गया था कि राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को स्थानीय मुद्दों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने के प्रश्न का जहां कही भी संभाव्य हो विनिश्चय करना चाहिए । अतः तद्नुसार, ग्राम न्यायालयों की स्थापना करना राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों पर है ।

****

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2783
जिसका उत्तर बुधवार, 11 मार्च, 2020 को दिया जाना है

न्यायालयों में लंबित मामले

2783. सुश्री महुआ मोइत्रा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय में कुल लंबित मुकदमों में ऐसे मुकदमों की संख्या कितनी है जहां अपील केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संस्थाओं द्वारा दायर की गई है और लंबित दीवानी और आपराधिक मामलों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) केंद्र सरकार की संस्थाओं के बीच कुल लंबित मुकदमों की संख्या कितनी है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 03.03.2020 तक कुल 60603 मामले उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं, जिसमें से 49088 सिविल मामले और 11515 आपराधिक मामले हैं। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा फाइल किए गए कुल मामलों की संख्या 9458 हैं, जिनमें से 7195 सिविल मामले एवं 2263 आपराधिक मामले हैं।

(ख) : केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों ने विधि कार्य विभाग द्वारा सृजित वेब-पोर्टल अर्थात् कानूनी सूचना प्रबंध और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) पर उनसे संबंधित लंबित मुकदमों के आंकड़ों को अद्यतन किया है। एलआईएमबीएस पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों में अंतर्वलित मामलों के विवरण, विभिन्न न्यायालयों में लंबित इकाइयों के विवरण नीचे दिए गए हैं :

न्यायालय	लंबित मामलों की संख्या
उच्चतम न्यायालय	14,108
उच्च न्यायालय	1,41,001
जिला/अधीनस्थ न्यायालयों/अधिकरणों/मंच आदि	2,76,750
कुल	4,31,859

तथापि, केंद्रीय सरकार की इकायों के बीच लंबित मुकदमों के संबंध में ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2790
जिसका उत्तर बुधवार, 11 मार्च, 2020 को दिया जाना है

भारतीय न्यायिक सेवा

2790. श्री डी.एम. कथीर आनन्दः

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार न्यायाधिकरण और विशेष अदालतों के लिए भारतीय न्यायिक सेवाओं को लाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; (ख) न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके कब तक बनने की संभावना है ; (ग) क्या सरकार का एक ऐसा कानून लाने का विचार है जो 4मूल अंग्रेजी में 598 लंबित मामलों पर निर्णय देने और न्यायपालिका में मौजूद कथित भ्रष्टाचार से छुटकारा पाने के लिए न्यायालयों को एक समय-सीमा प्रदान करेगा ;

(घ) क्या सरकार का राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा सामान्य विधि प्रवेश परीक्षा (सीएलएटी)आयोजित करने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ख) : सरकार के विचार में, सम्पूर्ण न्याय परिदान प्रणाली को सुदृढ करने के लिए एक उचित रुप से बनाई गई अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आवश्यक है । यह अखिल भारतीय योग्यता चयन प्रणाली के माध्यम से चयनित उपयुक्त योग्य नए विधिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों के प्रवेश के अवसर के साथ-साथ समाज के गरीब और वंचित वर्ग का उपयुक्त प्रतिनिधित्व सुकर बनाकर समाज में समावेशन के मुद्दे का भी समाधान करेगा ।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (ए आई जे एस) की स्थापना के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव बनाया गया है और उसे नवम्बर, 2012 में सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। देश में कुछ सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित करने के अलावा, यह न्यायपालिका में गरीब वर्ग तथा महिलाओं में से सक्षम व्यक्तियों के सम्मिलित किए जाने को सुकर बनाएगी। अप्रैल, 2013 में आयोजित मुख्य मंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में इस प्रस्ताव को कार्यसूची मद के रुप में सम्मिलित किया गया और यह विनिश्चय किया गया था कि इस मुद्दे पर विचार और विमर्श तथा

मनन करने की आवश्यकता है। इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से विचार मांगे गए थे । अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना पर राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के बीच मत भिन्नता थी। जबकि कुछ राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, किन्तु कुछ अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के पक्ष में नहीं थी, जबकि कुछ अन्य केंद्रीय सरकार द्वारा विरचित प्रस्ताव में परिवर्तन चाहती थीं।

सिक्किम और त्रिपुरा उच्च-न्यायालय अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के लिए सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव से सहमत हैं। इलाहाबाद, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा और उत्तराखंड उच्च न्यायालयों ने भर्ती के स्तर पर आयु, अर्हताओं, प्रशिक्षण तथा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों के कोटा में परिवर्तन का सुझाव दिया। शेष उच्च न्यायालयों ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। अधिकतर उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायपालिका पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालयों के पास ही रखना चाहते हैं। झारखंड और राजस्थान उच्च न्यायालयों ने इंगित किया है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन से संबंधित विषय विचाराधीन है। कलकत्ता, जम्मू-कश्मीर और गुवाहाटी उच्च न्यायालयों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैण्ड और पंजाब की राज्य सरकारें अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के पक्ष में नहीं हैं। महाराष्ट्र की राज्य सरकार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग (जे एम एफ सी) के स्तर से भर्ती चाहती है, जो भारत के संविधान में सम्मिलित अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के उपबंधों के अनुरुप नहीं है। बिहार, छत्तीसगढ़, मणिपुर, ओडिशा और उत्तराखंड की राज्य सरकारें, केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए प्रस्ताव में परिवर्तन चाहती हैं। हरियाणा की राज्य सरकार ने कथन किया है कि प्रस्ताव न्यायोचित प्रतीत होता है। मिजोरम की राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केंद्रीय सेवाओं के समान ही अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन का समर्थन किया है। जम्मू-कश्मीर राज्य की तत्कालीन सरकार ने उल्लिखित किया है कि 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में जोड़े गए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन हेतु भारत के संविधान के उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं होते हैं। शेष राज्यों से अब तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं।

जिला न्यायाधीशों के पद पर भर्ती में सहायता हेतु तथा सभी स्तरों पर न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की चयन प्रक्रिया के पुनर्विलोकन के लिए न्यायिक सेवा आयोग के सृजन से संबंधित मामला भी मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन की जो 03 और 04 अप्रैल, 2015 को आयोजित किया गया, कार्यसूची में सम्मिलित किया गया, जिसमें त्वरित ढंग से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु रिक्तियों को भरने के लिए विद्यमान व्यवस्था में समुचित पद्धति विकसित करने के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों को ही निर्णय करने हेतु स्वतंत्रता देने का संकल्प किया गया। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना हेतु प्रस्ताव, उस पर प्राप्त उच्च न्यायालयों तथा राज्य सरकारों के विचारों के साथ, 05 अप्रैल, 2015 को आयोजित मुख्य मंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन की कार्यसूची में सम्मिलित किया गया था । तथापि, इस विषय पर कोई प्रगति नहीं हुई।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन करने हेतु प्रस्ताव, 16 जनवरी, 2017 को विधि और न्याय राज्य मंत्री, भारत के महान्यायवादी, भारत के महासॉलिसिटर, न्याय विभाग, विधि कार्य तथा विधायी विभाग के सचिवों की उपस्थिति में विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में पात्रता, आयु, चयन मानदण्ड, अर्हता, आरक्षण आदि बिन्दुओं पर पुन: चर्चा की गई। पणधारियों के बीच विद्यमान मत भिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए, सरकार साझा सहमति तक पहुंचने के लिए पणधारियों के साथ परामर्श की प्रक्रिया में लगी हुई है।

(ग) : जी, नहीं ।

(घ) और (ङ) : जी, नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2791
जिसका उत्तर बुधवार, 11 मार्च, 2020 को दिया जाना है

न्याय में विलंब

+2791. श्री नारणभाई काछड़िया :
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर :
श्री परबतभाई सवाभाई पटेल :
श्री प्रदीप कुमार सिंह :
श्री शान्तनु ठाकुर :
श्री निशीथ प्रामाणिक :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायालयों में कई मामलों में निर्णय देने में विलम्ब, न्याय न मिलने के समान है और विभिन्न न्यायालयों में लंबित न्यायिक मामलों की संख्या बढ़ रहीं है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेष रुप से पश्चिमी बंगाल का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इसमें शामिल संसाधनों की खपत भी बढ़ रहीं और इससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है ; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं और किन वैकल्पिक उपायों पर विचार किया गया है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (घ) : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी और आंकड़ों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों, देश के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा पश्चिमी बंगाल राज्य में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों के ब्योरे **उपाबंध** में दिए गए है।

न्यायालयों में मामलों का निपटान न्यायपालिका के क्षेत्र में आता है। न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटान कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें अन्य बातों के साथ पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों की उपलब्धता, न्यायालय के कर्मचारियों और भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारकों अर्थात बार, अन्वेषण अधिकरण, साक्षियों और वादकरियों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित है। तथापि, संघ सरकार मामलों के त्वरित निपटान और लंबित मामलों की में कमी के लिए प्रतिबद्ध है । प्रणाली में विलंब और बकाया को कम करने और अवसंरचना परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाने और निष्पादन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करने के द्वारा पहुंच में वृद्धि करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ अगस्त, 2011 में राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना की थी। मिशन ने

न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अन्य बातों के साथ, कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, अधीनस्थ न्यायपालिका में पदवृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपायों की संभावना, मामलों के त्वरित निपटान और मानव संसाधन विकास पर अभिवृद्धि के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुन: इंजीनियरिंग सम्मिलित है। विभिन्न पहलों के अधीन पिछले पाँच वर्षों के दौरान उठाए गए मुख्य कदम निम्नानुसार हैं—

(क) : <u>जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार:-</u>

1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सी एस एस) के प्रारंभ से आज की तारीख तक 7453.10 करोड़ रु० जारी किए जा चुके हैं। जिसमें से 4008.80 करोड़ रु० (जो आज की तारीख तक जारी कुल रकम का 53.79% है) अप्रैल, 2014 से राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को जारी किए गए हैं। इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से 29.0 2.2020 तक बढ़कर 19,6 94 हो चुकी है और तारीख 30.06.2014 को आवासीय इकाईयों की संख्या 10,211 से बढ़कर 29.0 2.2020 तक 17,432 हो चुकी है । इसके अतिरिक्त, 2 ,814 न्यायालय हाल और 18 43 आवासीय इकाईयां निर्माणाधीन हैं।

(ख) : <u>बेहतर न्याय के परिदान के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) का प्रभावन:-</u>

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में समर्थ करने के लिए संपूर्ण देश में सरकार ई–न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है। वर्ष 2014 से आज तारीख तक कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या 13,672 से बढ़कर 16,845 हो चुकी है और 3,173 की वृद्धि दर्ज की गई है । सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में नया और उपयोक्ता अनुकूल मामला सूचना सॉफ्टवेयर विकसित करके लगाया गया है। सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में, एन जे डी जी पर इन कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों के संबंध में 13.13 करोड़ लंबित और निपटाए गए मामलों तथा 11.46 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों से संबंधित मामला प्रास्थिति सूचना उपलब्ध है। मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को ई न्यायालय सेवाऐं जैसे मामला रजिस्टर करने, मामला सूची, मामले की प्रास्थिति, दैनिक आदेशों और अंतिम निर्णयों के ब्यौरे सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में ई न्यायालय बेव पोर्टल, न्यायिक सेवा केन्द्रों (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ईमेल सेवा, एस एम एस पुश एण्ड पुल सर्विस के माध्यम से उपलब्ध हैं। 3240 न्यायालय परिसरों और 1272 तत्स्थानी जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान की गई है।

(ग) : <u>उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों को भरना:-</u>

01.05.2014 से 29.02.2020 की अवधि के दौरान, उच्चतम न्यायालय में 35 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई । उच्च न्यायालयों में 5 22 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 443 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मई 2014 में 906 से वर्तमान में बढ़कर 1079 हो गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत संख्या निम्नानुसार बढाई गई है:-

तारीख	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या
31.12.2013 को	19,518	15,115
29.02.2020 को	24,018	19,160

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्त पदों को भरना संबधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में हैं।

(घ) : <u>बकाया मामला समिति द्वारा / अनुवर्ती कार्यवाही के माध्यम से लंबित मामलों में कमी</u>
अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए उच्च न्यायालयों में बकाया मामला समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया मामला समितियों की स्थापना की गई है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कदम विरचित करने के लिए एक बकाया मामला समिति का गठन किया है।

(ङ) : <u>अनुकल्पी विवाद समाधान (ए डी आर) पर जोर</u>: वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 (20 अगस्त 2018 को यथा संशोधित) बाध्यकारी पूर्व संस्थापन मध्यकता और वाणिज्यिक विवादों के परिनिर्धारण को नियत करता है। माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 में समय सीमा विहित करके विवादों के त्वरित समाधान को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा संशोधन किया गया है।

(च) : <u>विशेष प्रकार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पहल:</u> चौदहवें वित्त आयोग ने सरकार के राज्यों में न्यायिक तंत्र को मजबूत करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए वरिष्ठ नागरिकों, स्त्रियों, बालकों आदि से संबंधित मामलों हेतु त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना सम्मिलित हैं, और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रुप में प्रदान के गए राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। 31.12.2019 को जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बालकों के विरूद्ध अपराधों, कुटुम्ब और वैवाहिक विवादों आदि के लिए 828 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं। निर्वाचित सांसदों/विधायकों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए दस (10) विशेष न्यायालय नौ (9) राज्यों (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक में 1 और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में 2) में कार्य़ कर रहे हैं और सरकार द्वारा इन राज्यों को उचित अनुपात में निधियां जारी की गई हैं और सरकार ने भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और लैंगिक अपराधों से बालकों की सुरक्षा अधिनियम के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के त्वरित निपटान हेतु संपूर्ण देश में 1023 विशेष त्वरित न्यायालय (एफ टी एस सी) स्थापित करने के लिए एक स्कीम का अनुमोदन किया है। आज तारीख तक, 649 विशेष त्वरित न्यायालयों की स्थापना हेतु 27 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्कीम में सम्मिलित हुए है, जिसके अंतर्गत 363 विशिष्ट पोक्सो न्यायालय भी हैं। (100 करोड़ रुपये के कुल आबंटन में से) 99.43 करोड़ रुपये त्वरित न्यायालयों के लिए पहली किश्त के रुप में पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

(छ) लंबित मामलों को कम करने तथा न्यायालय को उससे मुक्त करने के क्रम में सरकार ने हाल ही में कतिपय विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019, तथा दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 का संशोधन किया है।

****

उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों के ब्यौरे:

न्यायालय	**सिविल**	**दांडिक**	**कुल लंबित मामले**	**सिविल**	**दांडिक**	**कुल लंबित मामले**
उच्चतम न्यायालय	46,860	10,134	56,994 (01.12.2018 को)	49,088	11,515	60,603 (03.03.2020 को)

उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के ब्यौरे:

	सिविल	**दांडिक**	याचिक	कुल	सिविल	**दांडिक**	याचिका	कुल
उच्च न्यायालय	24.38 लाख	13.26 लाख	12.13 लाख	49.79 लाख है (21.12.2018 को)	19.23 लाख है	13.24 लाख	13.67 लाख	46.15 लाख (29.02.2020 को)

देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों के ब्यौरे:

	सिविल	**दांडिक**	याचिका	कुल	सिविल	**दांडिक**
जिला और अधीनस्थ न्यायालय	84.59 लाख है	207.65 लाख है	2.92 करोड़ (26.12.2018 को)	89.64 लाख	229.63 लाख है	3.19 करोड़ (29.02.2020 को)

पश्चिमी बंगाल में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों के ब्यौरे:

	सिविल	**दांडिक**	कुल	सिविल	**दांडिक**	कुल
पश्चिमी बंगाल के जिला और अधीनस्थ न्यायालय	4,93,021	14,57,471	19,50,492 (31.12.2018 को)	5,05,168	15,43,529	20,48,697 (31.12.2019 को)

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2856
जिसका उत्तर बुधवार, 11 मार्च, 2020 को दिया जाना है

महिलाओं के प्रति अपराधों के लिए विशेष न्यायालय

2856. श्री राजा अमरेश्वर नाईक :
डॉ. जयंत कुमार राय :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री भोला सिंह :
श्री विनोद कुमार सोनकर :
डॉ. सुकान्त मजूमदार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बच्चों तथा महिलाओं के प्रति अपराधों के लिए विशेष न्यायालय कार्य कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) ऐसे न्यायालयों की संख्या कितनी है तथा गत तीन वर्षों के दौरान इन न्यायालयों में लंबित/निपटाए गए मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है ;

(ग) क्या सरकार का महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों से निपटने के लिए समर्पित न्यायालय स्थापित करने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है तथा इनकी वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों/अभियोजकों की नियुक्ति करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : अधीनस्थ न्यायालयों जिसके अंतर्गत विशेष न्यायालय भी है, की स्थापना संबंद्ध उच्च न्यायालयों के साथ परामर्श करके राज्य सरकारों के अधिकार-क्षेत्र के भीतर आता है। 14 वें वित्त आयोग ने विनिर्दिष्ट प्रकृति के मामलों अर्थात् जघन्य प्रकृति, महिलाओं, बालकों, ज्येष्ठ नागरिकों आदि और पांच वर्ष से लंबित सिविल मामलों पर कार्यवाही करने के लिए वर्ष 2015-20 के दौरान 1800 त्वरित निपटान न्यायालयों (एफ टी सी एस) की स्थापना के लिए भारत संघ के प्रस्ताव का समर्थन किया है। उच्च न्यायालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 31-12-2019 तक देश में 828 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत थे।

पिछले तीन वर्षों के कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालयो का राज्यवार ब्यौरें **उपाबंध** में रखे गए है।

(ग) और (ङ) : दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को अग्रसर करने में सरकार ने केन्द्रीय रुप से प्रायोजित स्कीम के अधीन समयबद्ध रीति से, बलात्संग और लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित विचारण और निपटान के लिए देश

भर में कुल 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफ टी एस सी एस) की स्थापना करने के लिए एक स्कीम को अंतिम रूप प्रदान किया है। आज तक, 27 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से सहमति प्राप्त होने के पश्चात् 649 त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों जिसके अंतर्गत 363 अनन्य पॉक्सो न्यायालय भी है, विशेष न्यायालयों की स्थापना में 99.43 करोड़ रुपये की रकम की केन्द्रीय अंश निधियां जारी की जा चुकी है। त्वरित निपटान न्यायालय की स्कीम ऐसे न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों/अभियोजकों की नियुक्ति की परिकल्पना नहीं करती है।

(च) : सरकार ने बहुत से अनेक उपाय किए है । दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 अधिक कठोर, दांडिक उपबंध विहित करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिनके अंतर्गत 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ बलात्संग के लिए मृत्यु दंड और प्रत्येक 2 मास के अंदर अन्वेषण और विचारण, आपातकाल सहायता प्रणाली स्मार्ट पुलिसिगं और सुरक्षित प्रबंध की सहायता करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग ; सुरक्षित शहर परियोजनाएं "राष्ट्रीय लैंगिक अपराधियों पर डाटाबेस" (एनडीएसओ) जैसे ऑनलाइन विश्लेषनात्मक उपकरणों का शुभारंभ ; "लैंगिक अपराधों के लिए अन्वेषण खोज प्रणाली" ; केन्द्रीय और राज्य न्यायालिक प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण यूनिटों का सुदृढीकरण, लैंगिक हमलों के मामले में न्याय संबंधी साक्ष्य के संग्रहण और लैंगिक हमले संबंधी साक्ष्य संग्रहणकिट में मानक संयोजन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों की अधिसूचना ; राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में थानों में महिला हैल्पडेस्क और मानव दुर्व्यापार यूनिटों की स्थापना भी है ।

****

उपाबंध

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2856 जिसका उत्तर तारीख 11 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

तारीख 31.12.2019 तक विगत तीन वर्षों के दौरान कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालयों, निपटाए गए मामलों और लंबित मामलों की संख्या की राज्य-वार प्रास्थिति।

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या (31.12 .2019 तक)	2017 के दौरान त्वरित निपटान न्यायालयों में निपटाए गए मामलो की संख्या	2018 के दौरान त्वरित निपटान न्यायालयों में निपटाए गए मामलो की संख्या	2019 के दौरान त्वरित निपटान न्यायालयों में निपटाए गए मामलो की संख्या (31.12) .2019 तक)	त्वरित निपटान न्यायालयों में लंबित मामले (31.12.2019 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	**21**	**2615**	**2504**	**2679**	**6763**
2.	असम	**19**	**2990**	**2314**	**5689**	**8108**
3.	महाराष्ट्र	**91**	**35,046**	**32807**	**98,173**	**107,491**
4.	पश्चिमी बंगाल और अंदमान और निकोबार	**88**	**15482**	**16,358**	**15,527**	**49,723**
5.	छत्तीसगढ़	**38**	**3840**	**3862**	**4522**	**6882**
6.	मणिपुर	**04**	**214**	**210**		
7.	बिहार	**57**	**5889**	**11,525**	**7212**	**20774**
8.	दिल्ली	**10**	**1487**	**1559**	**1301**	**4210**
9.	हरियाणा	**06**	**-**	**166**	**3233**	**924**
10.	सिक्किम	**01**	**03**	**09**	**23**	**6**
11.	त्रिपुरा	**1 1**	**412**	**937**		
12.	उत्तर प्रदेश	**368**	**2017 और 2018 के दौरान 456477 मामले निपटाए गए**		**318,989**	**405,127**
13.	मिजोरम	**02**			**276**	**154**
14.	जम्मू - कश्मीर	**05**			**47**	**876**
15.	तमिलनाडु	**74**			**11,841**	**6036**
16.	तेलंगाना	**29**			**6996**	**9950**
17.	उत्तराखंड	**4**	**-**		**83**	**567**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2860
जिसका उत्तर बुधवार, 11 मार्च, 2020 को दिया जाना है

न्यायालयों में स्थानीय भाषा का उपयोग

+2860. श्री सदाशिव किसान लोखंडे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र उच्च न्यायालय तथा महाराष्ट्र के अन्य जिला न्यायालयों में स्थानीय भाषा में बहस के लिए व्यवस्था की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : जी, नहीं।

(ख) : प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) : केन्द्रीय सरकार को संबंधित राज्य से अनुच्छेद 348(2) और राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अधीन कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) : प्रश्न ही नहीं उठता है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2909
जिसका उत्तर बुधवार, 11 मार्च, 2020 को दिया जाना है

न्यायपालिका में अवसंरचनात्मक सुविधाएं

+2909. डॉ. भारती प्रवीण पवार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं को विकसित करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार को कितनी धनराशि आबंटित/जारी की गई है और कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है ; और

(घ) आज की तिथि तक, झारखंड में न्यायिक अवसंरचना में कितना सुधार हुआ है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : संघ सरकार, राज्यों सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को केंद्र और राज्यों के बीच विहित निधि सहभाजन पैटर्न में वित्तीय सहायता प्रदान करके, न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केंद्रीय रुप से प्रायोजित स्कीम का क्रियान्वयन कर रही है। यह स्कीम वर्ष 1993-94 से क्रियान्वित की जा रही है। इसमें जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और निवास स्थानों के संन्निर्माण भी समाविष्ट है। केंद्रीय सरकार ने इस स्कीम के प्रारंभ से आज तक, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को 7,453 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं, जिसमें से 680.84 करोड़ रुपये महाराष्ट्र की राज्य सरकार को स्वीकृत किए जा चुके हैं।

(ग) : स्कीम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई निधि की प्रास्थिति और विगत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी की गई निधि की तुलना में महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए उपयोक्ता प्रमाण पत्र की रकम निम्न प्रकार से है:-

(रुपये करोड़ में)

राज्य		निम्नलिखित वर्षों के दौरान जारी की गई निधि			वर्ष 2016-17 से जारी की गई निधियों के लिए प्रस्तुत किए गए उपयोक्ता प्रमाणपत्रों की रकम
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (06.03.2020 तक)	
महाराष्ट्र	**49.75**	**50.00**	**10.58**	**21.09**	**118.41**

(घ) : न्यायपालिका के लिए अंवसरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों के संसाधनों में संबर्धन करने के लिए राज्य सरकार का अख्तियार है । जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और निवास स्थानों के सन्निर्माण के लिए स्कीम के अधीन निधियां जारी की जाती हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, झारखंड में न्यायालय हॉलों की संख्या वर्ष 2017 में 598 से बढकर तारीख 06.03.2020 तक 640 हो गई है । इसी प्रकार झारखंड में न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय ईकाइयों की संख्या वर्ष 2017 में 460 से बढकर तारीख 06.03.2020 तक 567 हो गई है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में झारखंड राज्य में 21 न्यायालय हॉल और 63 आवासीय ईकाइयॉ संन्निर्माणाधीन है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2916
जिसका उत्तर बुधवार, 11 मार्च, 2020 को दिया जाना है

सुलभ न्याय

+2916. श्री खगेन मुर्मु :

श्री अजय मिश्र टेनी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में जनता को सुलभ और शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिए न्यायालयों की मौजूदा संख्या में वृद्धि का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आते हैं, जिसमें केंद्रीय सरकार की कोई भूमिका नहीं है। उच्च न्यायालयों और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर जिला/अधीनस्थ न्यायालयों की स्वीकृत पद संख्या वर्ष 2014 में 20214 से बढ़ाकर 29.02.2020 तक 24018 कर दी गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 2014 में 15634 से बढ़ाकर 29.02.2020 तक 19160 कर दी गई है। राज्य और संघ राज्यक्षेत्र वार जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्वीकृत/कार्यरत पद संख्या उपाबंध पर दी गई है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

****

उपाबंध

तारीख 29.02.2020 तक अधीनस्थ न्यायालयों में स्वीकृत पद संख्या/कार्यरत पद संख्या तथा रिक्तियां

क्र.सं.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	कुल स्वीकृत पद संख्या	कुल कार्यरत पद संख्या	कुल रिक्ति पद
1	अंदमान और निकोबार	0	13	-13
2	आंध्र प्रदेश	599	526	73
3	अरुणाचल प्रदेश	41	27	14
4	असम	441	409	32
5	बिहार	1925	1437	488
6	चंडीगढ़	30	29	1
7	छत्तीसगढ़	480	393	87
8	दादरा और नागर हवेली	3	3	0
9	दमण और दीव	4	3	1
10	दिल्ली	799	678	121
1 1	गोवा	50	40	10
12	गुजरात	1521	1183	338
13	हरियाणा	772	475	297
14	हिमाचल प्रदेश	175	163	12
15	जम्मू - कश्मीर	290	232	58
16	झारखंड	677	458	219
17	कर्नाटक	1346	1098	248
18	केरल	536	456	80
19	लक्षद्वीप	3	3	0
20	मध्य प्रदेश	2021	1651	370
21	महाराष्ट्र	2189	1940	249
22	मणिपुर	55	41	14
23	मेघालय	97	49	48
24	मिजोरम	64	45	19
25	नागालैंड	33	26	7
26	ओडिशा	920	771	149
27	पुडुचेरी	26	11	15
28	पंजाब	675	577	98
29	राजस्थान	1428	1119	309
30	सिक्किम	25	19	6
31	तमिलनाडु	1257	1080	177
32	तेलंगाना	474	383	91
33	त्रिपुरा	120	95	25
34	उत्तर प्रदेश	3634	2581	1053
35	उत्तराखंड	294	228	66
36	पश्चिमी बंगाल	1014	918	96
कुल		**24018**	**19160**	**4858**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2925
जिसका उत्तर बुधवार, 11 मार्च, 2020 को दिया जाना है

निःशुल्क और त्वरित न्याय

+2925. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा :

श्री छतर सिंह दरबार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार मामलों के निपटान के लिए एक नियत समय-सीमा तय करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987, समाज के दुर्बल वर्गों जिसके अंतर्गत धारा 12 के अधीन आने वाले फायदाग्राही भी हैं, को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा यह सुनिश्चित करने हेतु कि आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण कोई भी नागरिक न्याय पाने के अवसर से वंचित न रह जाए, और यह सुनिश्चित करने हेतु कि विधिक पद्धति के प्रवर्तन से समान अवसर के आधार पर न्याय का संवर्धन हो, लोक अदालतें संगठित करने के लिए अधिनियम उपबंध करता है।

इस प्रयोजन के लिए, उच्चतम न्यायालय से तालुक न्यायालय स्तर तक विधिक सेवा संस्थाएं गठित की गई हैं। अप्रैल, 2019 से दिसंबर, 2019 के दौरान, 8.96 लाख व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं और 56.19 लाख मामले (न्यायालयों में लंबित और मुकदमेबाजी-पूर्व प्रक्रम पर विवाद) लोक अदालतों के माध्यम से निपटाए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने न्याय बंधु (प्रो-बोनो) कार्यक्रम, विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए फायदाग्राही को प्रो-बोनो वकीलों के साथ जोड़े जाने के लिए आरंभ किए हैं। टैली-विधि कार्यक्रम जनता के लिए, जिसके अंतर्गत विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 की धारा 12

के अधीन निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति भी हैं, ग्रामों में विधिक परामर्श मुकदमेबाजी -पूर्व प्रक्रम पर पैनल वकीलों द्वारा सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए आरंभ की गई है।

(ग) : जी, नहीं। मामलों का समय से निपटान न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(घ) : प्रश्न ही नहीं उठता है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2948
जिसका उत्तर बुधवार, 11 मार्च, 2020 को दिया जाना है

न्यायिक सुधार संबंधी समिति

+2948. डॉ. रमापति राम त्रिपाठी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायिक सुधार हेतु गठित समिति ने सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध् में समिति के निष्कर्ष और सुझाव क्या हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा न्यायिक प्रणाली को और प्रभावी बनाने और आपराधिक कृत्यों की तत्काल सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : सरकार ने प्रणाली में विलंब और बकाया को कम करने और अवसंरचना परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाने और निष्पादन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करने के द्वारा पहुंच में वृद्धि करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ अगस्त, 2011 में राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना की है। मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ, कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, अधीनस्थ न्यायपालिका में पदवृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपायों की संभावना, मामलों के त्वरित निपटान और मानव संसाधन विकास पर अभिवृद्धि के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुन: इंजीनियरिंग सम्मिलित है।

राष्ट्रीय मिशन कार्य योजना के लक्ष्यों, उद्देश्यों तथा पहलुओं पर सलाह देने और इसको क्रियान्वित करने के लिए व्यापक स्तर पर सदस्यता के साथ विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता के अधीन एक सलाहकारी परिषद की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय मिशन की कार्य योजना पांच रणनीतिक पहलुओं के अधीन विरचित की गई थी जिसे समय समय पर राष्ट्रीय मिशन के सलाहकारी परिषद द्वारा पुर्नविलोकित किया गया। अब तक सलाहकारी परिषद की ग्यारह बैठकें आयोजित हुई हैं। राष्ट्रीय मिशन के अधीन सक्रयतावादी सतत प्रकृति के है तथा राष्ट्रीय मिशन के सलाहकारी परिषद के समक्ष नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

(घ) : न्यायालयों में मामलों की सुनवाई और उसका निपटान करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। न्यायालयों में मामलों की सुनवाई में सरकार कोई भूमिका नहीं है। तथापि संघ सरकार

मामलों के शीघ्र निपटान तथा लंबित मामलों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है । विभिन्न पहलों के अधीन पिछले पाँच वर्षों के दौरान उठाए गए मुख्य कदम निम्नानुसार हैं—

(क) : <u>जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार:-</u>

1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सी एस एस) के प्रारंभ से आज की तारीख तक 7453.10 करोड़ रु० जारी किए जा चुके हैं । जिसमें से 4008.80 करोड़ रु० (जो आज की तारीख तक जारी कुल रकम का 53.79% है) अप्रैल, 2014 से राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से 29.02.2020 तक बढ़कर 19,694 हो चुकी है और तारीख 30.06.2014 को आवासीय इकाईयों की संख्या 10,211 से बढ़कर 29.02.2020 तक 17,432 हो चुकी है । इसके अतिरिक्त, 2,814 न्यायालय हाल और 1843 आवासीय इकाईयां निर्माणाधीन हैं।

(ख) : <u>बेहतर न्याय के परिदान के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) का प्रभावन:-</u>

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में समर्थ करने के लिए संपूर्ण देश में सरकार ई–न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है। वर्ष 2014 से आज तारीख तक कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या 13,672 से बढ़कर 16,845 हो चुकी है और 3,173 की वृद्धि दर्ज की गई है । सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में नया और उपयोक्ता अनुकूल मामला सूचना सॉफ्टवेयर विकसित करके लगाया गया है। सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में, एन जे डी जी पर इन कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों के संबंध में 13.13 करोड़ लंबित और निपटाए गए मामलों तथा 11.46 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों से संबंधित मामला प्रास्थिति सूचना उपलब्ध है। मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को ई न्यायालय सेवाऐं जैसे मामला रजिस्टर करने, मामला सूची, मामले की प्रास्थिति, दैनिक आदेशों और अंतिम निर्णयों के ब्यौरे सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में ई न्यायालय बेव पोर्टल, न्यायिक सेवा केन्द्रों (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ईमेल सेवा, एस एम एस पुश एण्ड पुल सर्विस के माध्यम से उपलब्ध हैं। 3240 न्यायालय परिसरों और 1272 तत्स्थानी जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान की गई है।

(ग) : <u>उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों को भरना:-</u>

01.05.2014 से 29.02.2020 की अवधि के दौरान, उच्चतम न्यायालय में 35 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई । उच्च न्यायालयों में 522 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 443 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए । उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मई 2014 में 906 से वर्तमान में बढ़कर 1079 हो गई है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत संख्या निम्नानुसार बढाई गई है:-

तारीख	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या
31.12.2013 को	19,518	15,115
29.02.2020 को	24,018	19,160

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्त पदों को भरना संबधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में हैं।

(घ) : <u>बकाया मामला समिति द्वारा / अनुवर्ती कार्यवाही के माध्यम से लंबित मामलों में कमी</u>

अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए उच्च न्यायालयों में बकाया मामला समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया मामला समितियों की स्थापना की गई है। उच्चतम

न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कदम विरचित करने के लिए एक बकाया मामला समिति का गठन किया है।

(ङ) : अनुकल्पी विवाद समाधान (ए डी आर) पर जोर: वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 (20 अगस्त 2018 को यथा संशोधित) बाध्यकारी पूर्व संस्थापन मध्यकता और वाणिज्यिक विवादों के परिनिर्धारण को नियत करता है। माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 में समय सीमा विहित करके विवादों के त्वरित समाधान को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा संशोधन किया गया है।

(च) : विशेष प्रकार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पहल: चौदहवें वित्त आयोग ने सरकार के राज्यों में न्यायिक तंत्र को मजबूत करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए वरिष्ठ नागरिकों, स्त्रियों, बालकों आदि से संबंधित मामलों हेतु त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना सम्मिलित हैं, और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रुप में प्रदान के गए राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। 31.12.2019 को जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बालकों के विरूद्ध अपराधों, कुटुम्ब और वैवाहिक विवादों आदि के लिए 828 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं। निर्वाचित सांसदों/विधायकों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए दस (10) विशेष न्यायालय नौ (9) राज्यों (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक में 1 और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में 2) में कार्य़ कर रहे हैं और सरकार द्वारा इन राज्यों को उचित अनुपात में निधियां जारी की गई हैं और सरकार ने भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और लैंगिक अपराधों से बालकों की सुरक्षा अधिनियम के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के त्वरित निपटान हेतु संपूर्ण देश में 1023 विशेष त्वरित न्यायालय (एफ टी एस सी) स्थापित करने के लिए एक स्कीम का अनुमोदन किया है। आज तारीख तक, 649 विशेष त्वरित न्यायालयों की स्थापना हेतु 27 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्कीम में सम्मिलित हुए है, जिसके अंतर्गत 363 विशिष्ट पोक्सो न्यायालय भी हैं। (100 करोड़ रुपये के कुल आबंटन में से) 99.43 करोड़ रुपये त्वरित न्यायालयों के लिए पहली किश्त के रुप में पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

(छ) लंबित मामलों को कम करने तथा न्यायालय को उससे मुक्त करने के क्रम में सरकार ने हाल ही में कतिपय विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019, तथा दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 का संशोधन किया है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2953
जिसका उत्तर बुधवार, 11 मार्च, 2020 को दिया जाना है

उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय पीठें

+2953. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विधिक व्यवस्था को सशक्त बनाने और इसे सुगमता से उपलब्ध कराने का देश में कोई प्रस्ताव तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की नई पीठ की मंजूरी दी है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई हुई है ; और

(घ) क्या सरकार के पास विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालयों की पीठों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना है जो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और जहां लोगों को संबंधित उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की सुनवाई के लिए लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : सरकार ने प्रणाली में विलंब और बकाया को कम करने और संरचना परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाने और निष्पादक मानकों और क्षमताओं को स्थापित करने के द्वारा पहुंच में वृद्धि करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ अगस्त, 2011 में राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना की है। मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ, कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, अधीनस्थ न्यायपालिका में पदवृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपायों की संभावना, मामलों के त्वरित निपटान और मानव संसाधन विकास पर अभिवृद्धि के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुन: इंजीनियरिंग सम्मिलित है।

(ख) : जी, नहीं।

(ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) : जी, नहीं। उच्च न्यायालय की प्रधान न्यायपीठ से भिन्न किसी अन्य स्थान पर इसकी न्यायपीठों की स्थापना जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और वर्ष 2000 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 379 में शीर्ष न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार तथा संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य

न्यायमूर्ति तथा सम्बद्ध राज्य के राज्यपाल की सहमति से अवसंरचना प्रदान करने और व्यय को पूरा करने की तैयारी को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार के पूर्ण प्रस्ताव पर सम्यक विचार करने के पश्चात की जाती है।

वर्तमान में, उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त सरकार के साथ लंबित नहीं है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2970
जिसका उत्तर बुधवार, 11 मार्च, 2020 को दिया जाना है

त्वरित न्याय

+2970. श्रीमती अन्नपुर्णा देवी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संविधान में लिखित अनुच्छेद 39क के अनुसार त्वरित न्याय प्रदान करने में सफल नहीं हुई है ;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) सरकार के संविधान के अनुच्छेद 39क के उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) उक्त समस्या के समाधान के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (घ) : संविधान का अनुच्छेद 39क उपबंध करता है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह, विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।

विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 , समाज के दुर्बल वर्गों जिसके अंतर्गत धारा 12 के अधीन आने वाले फायदाग्राही भी हैं, को निशुल्क और सक्षम विधिक सेवा यह सुनिश्चित करने हेतु कि आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण कोई भी नागरिक न्याय पाने के अवसर से वंचित न रह जाए, और यह सुनिश्चित करने हेतु कि विधिक पद्धति के प्रवर्तन से समान अवसर के आधार पर न्याय का संवर्धन हो, लोक अदालतें संगठित करने के लिए अधिनियम उपबंध करता है।

इस प्रयोजन के लिए, उच्चतम न्यायालय से तालुक न्यायालय स्तर तक विधिक सेवा संस्थाएं गठित की गई हैं। अप्रैल, 2019 से दिसंबर, 2019 के दौरान, 8.96 लाख व्यक्तियों को निशुल्क विधिक सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं और 56.19 लाख मामले (न्यायालयों में लंबित और मुकदमेबाजी-पूर्व प्रक्रम पर विवाद) लोक अदालतों के माध्यम से निपटाए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने न्याय बंधु (प्रो-बोनो) कार्यक्रम, विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों को प्रो-बोनो वकीलों के साथ जोड़े जाने के लिए आरंभ किए हैं। टैली-विधि कार्यक्रम जनता के लिए, जिसके अंतर्गत विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति भी हैं, ग्रामों में विधिक परामर्श मुकदमेबाजी -पूर्व प्रक्रम पर पैनल वकीलों द्वारा सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए आरंभ की गई है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *258
जिसका उत्तर बुधवार, 11 मार्च, 2020 को दिया जाना है

परामर्शदाताओं की नियुक्ति

***258. श्री गौतम सिगामणि पोन :**
श्री धनुष एम. कुमार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार का बलात्कार और पॉक्सो मामलों के त्वरित निपटान के लिए 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना से संबंधित योजना के लिए संविदा आधार पर वरिष्ठ परामर्शदाताओं और परामर्शदाताओं को नियुक्त करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ख) परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा निर्धरित मानदंड क्या हैं और उनके कर्तव्यों का स्वरूप क्या है ;
(ग) अब तक चयनित सूची में रखे गए और नियुक्त उम्मीदवारों की संख्या कितनी है;
(घ) उन्हें कितनी अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और उन्हें कितना पारिश्रमिक देने का विचार है ;
(ङ) क्या केंद्र सरकार ने बलात्कार और पॉक्सो मामलों के त्वरित निपटान के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय स्थापित करने हेतु सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया है और यदि हां, तो कितने राज्यों ने ऐसे फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना की है ; और
(च) देश में विभिन्न न्यायालयों में लंबित बलात्कार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (च) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

<u>लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *258, जिसका उत्तर 11 मार्च, 2020 को दिया जाना है, के भाग (क) से भाग (च) तक के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण</u>

(क) से (घ) : सरकार, संपूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों की स्थापना करने के लिए स्कीम मानीटर करने हेतु दो व्यावसायिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने का प्रस्ताव करती है । ये परामर्शदाता ऐसे विधि स्नातक होने चाहिए , जो बेहतर विश्लेषणात्मक और संवाद कौशल रखता हो तथा जिनके पास वरिष्ठ परामर्शदाता के पद के लिए विधि के क्षेत्र में 5-8 वर्ष का और परामर्शदाता के पद के लिए 3-5 वर्ष का अनुभव हो । प्रस्तावित प्रति मास पारिश्रमिक वरिष्ठ

परामर्शदाता के लिए 1,00,000-1,25,000 रुपए और परामर्शदाता के लिए 80 ,000-1,00,000 रुपए के बीच है। परामर्शदाताओं की पदावधि , त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों की स्कीम के साथ सह-विस्तारी होगी। इन पदों के लिए विज्ञापन 13.02.2020 को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के पश्चात्, न्याय विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। आवेदन 5 मार्च , 2020 तक ऑन-लाइन प्राप्त किए जाने थे। सभी अधिकथित संहिता संबंधी औपचारिकताओं का पालन करने के पश्चात् , इन दो परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जाएगी।

उपरोक्त स्कीम के उचित नियोजन , समन्वयन और मानीटरी के लिए , ये दो परामर्शदाता, संबंधित उच्च न्यायालयों से विहित रूपविधानों में आंकड़े प्राप्त करने के लिए नियमित क्रियाकलाप करेंगे, हस्तक्षेपों की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की सिफारिश करने वाली विभिन्न रिपोर्टें और मूल्यांकन तैयार करने के अतिरिक्त, उनका संकलन, विश्लेषण और मूल्यांकन करेंगे ; निरीक्षण करेंगे; प्रशिक्षण और आऊटरीच अभियान आदि आयोजित करेंगे।

(ङ) : जघन्य प्रकृति , महिलाओं, बालकों, वरिष्ठ नागरिकों, समाज के असुरक्षित वर्गों के विनिर्दिष्ट प्रकृति के मामलों और पांच वर्ष तक लंबित सिविल मामलों पर कार्रवाई के लिए , वर्ष 2015-2020 के दौरान 1800 त्वरित निपटान न्यायालयों (एफटीसी) की स्थापना करने के लिए भारत संघ के प्रस्ताव का 14वें वित्त आयोग द्वारा समर्थन किया गया था। आयोग ने , राज्य सरकारों से अनुरोध किया था कि वे उपरोक्त के लिए कर न्यागमन के माध्यम से उपलब्ध वृद्धित राजकोषीय व्यवस्था (32% से 42 %) का उपयोग करे। संघ सरकार ने राज्यों से अपेक्षित संख्या में त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना करने के लिए भी कहा है। उच्च न्यायालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 31 दिसंबर, 2019 तक देश में कार्य कर रहे ऐसे त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या 828 है।

दंड विधि (संशोधन) अधिनियम , 2018 को अग्रसर करने में विशेष प्रयास करते हुए , संघ सरकार ने बलात्संग और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम से संबंधित मामलों के त्वरित विचारण और निपटान के लिए त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों की स्कीम को अंतिम रूप दिया है और सितंबर , 2019 में केवल लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण न्यायालयों सहित त्वरित निपटान विशेष न्यायालय खोलने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को भी संसूचित किया है। राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों से सहमति प्राप्त हो जाने के पश्चात्, अभी तक निधियों के केंद्रीय शेयर की पहली किस्त , 27 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को , 649 त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों की , जिनमें 363 केवल लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण न्यायालय सम्मिलित हैं , स्थापना करने के लिए जारी की गई है। उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ऐसे 195 न्यायालयों की स्थापना की गई है, जिनके ब्यौरे **उपाबंध-1** पर दिए गए हैं।

(च) : न्यायालयों में मामलों का निपटान करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है। संघ सरकार, मामलों के त्वरित निपटान और लंबित मामलों की संख्या में कमी करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन ने अनेक रणनीतिक पहलें अपनाई हैं, जिनमें जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना (न्यायालय हालों और आवासीय यूनिटों) का सुधार करना , बेहत्तर न्याय परिदान के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का प्रभावन , उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरा जाना , जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय स्तर पर बकाया मामले समितियों द्वारा अनुवर्तन के माध्यम से लंबित मामलों की संख्या में कमी , अनुकल्पी विवाद समाधान (एडीआर) पर बल और विशेष प्रकार के मामलों का त्वरित निपटान करने के लिए पहलें भी हैं। तथापि , न्यायालयों में समय पर मामलों का निपटान अनेक ऐसे अन्य कारणों पर भी निर्भर करता है , जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ , पर्याप्त न्यायाधीशों की संख्या , सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद और भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता , साक्ष्य की प्रकृति , पणधारियों अर्थात् विधिज्ञ , अन्वेषण अभिकरणों , साक्षियों और वादकारियों का सहयोग और सुनवाई के लिए मामलों को मानीटर करने , उनका पता लगाने तथा एकत्रित करने के लिए नियमों तथा प्रक्रियाओं का उचित उपयोजन भी है।

केंद्रीय सरकार ने , दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 अधिनियमित किया है, जो 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ बलात्संग के लिए मृत्युदंड सम्मिलित करके , बलात्संग जैसे अपराधों के लिए दंड को अधिक कठोर बनाता है। अधिनियम, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्येक का दो मास के भीतर अन्वेषण और विचारण को पूरा करने को अनिवार्य बनाता है। इसके अतिरिक्त , यह सुनिश्चित करने के लिए कि विधि में संशोधन बुनियादी स्तर प्रभावी ढंग से बदलाव लाएं और देश में महिलाओं की सुरक्षा में अभिवृद्धि करने के लिए, सरकार ने कार्यान्वयन के लिए अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में , दंड विधि (संशोधन) अधिनियम , 2018 के अनुसार, लैंगिक हमले के मामलों में समयबद्ध अन्वेषण को मानीटर करने और उनको ट्रैक करने के लिए , पुलिस के लिए 19 फरवरी, 2019 को आरंभ किया गया "लैंगिक अपराधों के लिए अन्वेषण खोज प्रणाली " नामक ऑनलाइन विश्लेषणात्मक उपकरण ; विधि प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा संपूर्ण देश में लैंगिक अपराधियों के अन्वेषण को सुकर बनाने और उनका पता लगाने के लिए 20 सितंबर , 2018 को लैंगिक अपराधियों पर राष्ट्रीय डाटा बेस (एनडीएसओ) का शुभारंभ ; स्मार्ट पुलिसिंग और सुरक्षा प्रबंध की सहायता करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु निर्भया निधि के अधीन 8 शहरों (अहमदाबाद, बेंगलूरू, चैन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई) में चरण-1 में सुरक्षित शहर परियोजनाओं की मंजूरी ; और केंद्रीय तथा राज्य न्यायालयिक प्रयोगशालाओं में

डीएनए विश्लेषण यूनिटों को सुदृढ करके अन्वेषण का सुधार करने के लिए किए गए उपाय , जिनके अंतर्गत केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला, चंडीगढ़ में आधुनिक डीएनए विश्लेषण यूनिट की स्थापना भी है, सम्मिलित हैं। लैंगिक हमले के मामलों में न्याय संबंधी साक्ष्य के संग्रहण और लैंगिक हमले के मामलों में साक्ष्य संग्रहण किट में मानक संयोजन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत अधिसूचित किए गए हैं। मानवशक्ति में पर्याप्त क्षमता निर्माण करने के लिए , अन्वेषण अधिकारियों , अभियोजन अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और कौशल निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं।

****

उपाबंध –1

त्वरित निपटान विशेष न्यायालय की स्कीम के अधीन स्त्रियों और बालिकाओं के लिए स्थापित त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे (जनवरी 2020)

राज्य	**त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों की संख्या**
मध्य प्रदेश	56
छत्तीसगढ़	15
दिल्ली	16
त्रिपुरा	03
झारखंड	22
राजस्थान	26
तेलंगाना	09
गुजरात	34
तमिलनाडु	14
योग	**195**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3934
जिसका उत्तर बुधवार, 18 मार्च, 2020 को दिया जाना है

लोक अदालतें

3934. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे :

डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखे पाटील :

श्री हेमन्त पाटिल :

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में लंबित मामलों को निपटाने के लिए देश में और अधिक लोक अदालतों को गठित करने का प्रस्ताव है; (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान में विभिन्न राज्यों में चल रही लोक अदालतों की संख्या कितनी है ;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान लोक अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है ; और

(घ) इससे उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में कितनी कमी आई है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : लोक अदालत आम जनता को उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक ऐसा फोरम है, जहां न्यायालय में या मुकदमा-पूर्व के चरण पर लंबित विवादों/ मामलों को सौहार्दपूर्ण रुप से निपटारा/ समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा दिया गया पंचाट सिविल न्यायालय के डिक्री के रुप में समझी जाती है और जो अंतिम है तथा सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी है एवं किसी न्यायालय के समक्ष उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाती है। न्यायालयों में मामलों के लंबन को कम करने के लिए और मुकदमा-पूर्व के चरण पर मामलों के निपटारे के लिए भी विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा ऐसे अंतरालों पर, जो वह ऊचित समझे, लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं । लोक अदालत एक स्थायी स्थापन नहीं है । तथापि, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19 के अनुसार, लोक अदालतें आवश्यकतानुसार विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाती हैं । राष्ट्रीय लोक अदालतें पूर्व निर्धारित तारीख को सभी तालुका, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक साथ आयोजित की जाती हैं ।

इसके अतिरिक्त, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 22ख मुकदमा- पूर्व के चरण पर लोक उपयोगिता सेवाओं के मामलों को निपटाने के लिए प्रत्येक राज्य प्राधिकरण द्वारा स्थायी लोक अदालत की स्थापना के लिए उपबंध भी करती हैं । 337 स्थायी लोक अदालतें विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। राज्य-वार स्थायी लोक अदालतें और निपटाए गए मामलों को **उपाबंध-क** पर दिया गया है। विगत तीन वर्षों के दौरान, नियमित लोक अदालतें और राष्ट्रीय लोक अदालतों द्वारा राज्य-वार निपटाए गए मामलों (मुकदमा-पूर्व के चरण पर और लंबित मामले दोनों) को क्रमश: **उपाबंध-ख और उपाबंध-ग** पर दिया गया है।

(घ) : विगत तीन वर्षों के दौरान, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में नियमित लोक अदालतों ने 20,00,437 मामलों का निपटान किया है और राष्ट्रीय लोक अदालतों ने 81,55,052 मामलों का निपटान किया है।

****

उपाबंध-क

लोक अदालतों के संबंध में डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे व अन्य द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3934 जिसका उत्तर तारीख 18 मार्च, 2020 को दिया जाना है, के उत्तर में यथा निर्दिष्ट विवरण

विगत तीन वित्तीय वर्षों 2017-18, 2018-19 और 2019-20 (दिसंबर, 2020 तक) के दौरान स्थायी लोक अदालतों (लोक उपयोगी सेवाएं) में निपटाए गए मामलों की संख्या को समाविष्ट करने वाला विवरण

क्र.सं.	एसएलएसए	कार्यरत पीएलएएस	निपटाए गए मामले		
			2017-18	2018-19	2019-20 (दिसंबर, 2019 तक)
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1	1	0
2	आंध्र प्रदेश	9	1404	1805	1317
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
4	असम	20	312	99	34
5	बिहार	9	78	491	521
6	छत्तीसगढ़	5	163	122	67
7	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0
8	दमण और दीव	0	0	0	0
9	दिल्ली	2	11,922	18,897	14376
10	गोवा	2	93	107	57
1 1	गुजरात	4	439	365	110
12	हरियाणा	21	40,966	39,930	37,213
13	हिमाचल प्रदेश	4	75	70	95
14	जम्मू - कश्मीर	0	0	0	0
15	झारखंड	24	3137	6414	8649
16	कर्नाटक	6	8673	4014	4547
17	केरल	3	818	544	298
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	50	12094	951	378
20	महाराष्ट्र	4	10089	2981	2848
21	मणिपुर	0	0	0	0
22	मेघालय	0	0	0	0
23	मिजोरम	2	0	0	0
24	नागालैंड	0	0	0	0
25	ओडिशा	18	1583	1352	1424
26	पुडुचेरी	0	0	0	0
27	पंजाब	22	19,626	9427	6723
28	राजस्थान	35	3208	4423	4095
29	सिक्किम	0	0	0	0
30	तमिलनाडु	32	0	0	20
31	तेलंगाना	6	4856	6243	2128
32	त्रिपुरा	6	49	245	177
33	चंडीगढ़	1	3205	1653	514
34	उत्तर प्रदेश	47	1663	2340	1007
35	उत्तराखंड	4	5	151	282
36	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	0
	कुल योग	**337**	**124,459**	**102,625**	**86,880**

उपाबंध-ख

लोक अदालतों के संबंध में डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे व अन्य द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3934 जिसका उत्तर तारीख 18 मार्च, 2020 को दिया जाना है, के उत्तर में यथा निर्दिष्ट विवरण

वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 (दिसंबर, 2020 तक) के दौरान नियमित लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य प्राधिकरण का नाम (1)	2017-18		2018-19		2019-20 (दिसंबर, 2019 तक)	
		मुकदमा-पूर्व निपटाए गए मामले (2)	लंबित मामलों का निपटान (3)	मुकदमा-पूर्व निपटाए गए मामले (4)	लंबित मामलों का निपटान (5)	मुकदमा-पूर्व निपटाए गए मामले (6)	लंबित मामलों का निपटान (7)
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	114	318	75	0	99	191
2	आंध्र प्रदेश	2969	13243	2605	11,126	1489	7547
3	अरुणाचल प्रदेश	23	25	13	13	69	49
4	असम	4072	105,079	605	57,673	644	32,185
5	बिहार	2089	194	1171	190	810	122
6	छत्तीसगढ़	435	11013	602	5085	376	1119
7	दादरा और नागर हवेली	0	10	2	3	0	0
8	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	3685	0	4393	0	12893	2333
10	गोवा	226	397	21	111	51	29
1 1	गुजरात	3324	15750	843	17,819	1099	15473
12	हरियाणा	20,679	128,849	0	143,703	0	99,466
13	हिमाचल प्रदेश	99	52800	73	75,107	0	60,385
14	जम्मू - कश्मीर	1509	2976	3615	6996	1933	13,189
15	झारखंड	1592	6314	3563	8905	1574	4735
16	कर्नाटक	8426	105,846	6335	83,281	1870	28,888
17	केरल	18,896	8142	25,667	6065	12931	3594
18	लक्षद्वीप	13	0	198	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	2795	5082	603	2958	908	7561
20	महाराष्ट्र	21	1096	9	789	1300	6592
21	मणिपुर	0	0	28	0	0	0
22	मेघालय	0	10	86	80	0	0
23	मिजोरम	498	28	411	66	288	110
24	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
25	ओडिशा	176	267,148	62	82,655	22	36617
26	पुडुचेरी	774	337	846	165	378	143
27	पंजाब	871	6109	6216	23,050	274	3572
28	राजस्थान	2462	70815	2373	8300	907	4322
29	सिक्किम	292	385	577	152	313	123
30	तमिलनाडु	12666	6358	9413	7731	6030	5396
31	तेलंगाना	3052	11383	3973	9059	4228	5597
32	त्रिपुरा	206	73,676	331	56,738	612	6475
33	चंडीगढ़	39	4	88	0	21	0
34	उत्तर प्रदेश	3639	5930	14437	27139	1467	1802
35	उत्तराखंड	0	16868	4	7804	26	26001
36	पश्चिमी बंगाल	888,870	27,985	285,892	29,762	7494	10126
	कुल योग	**9,84,512**	**9,44,170**	**3,75,130**	**6,72,525**	**60,106**	**3,83,742**

निपटाए गए लंबित मामले = स्तभ (3)+ स्तभ (5)+स्तभ (7) =20,00,437

उपाबंध-ग

लोक अदालतों के संबंध में डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे व अन्य द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3934 जिसका उत्तर तारीख 18 मार्च, 2020 को दिया जाना है, के उत्तर में यथा निर्दिष्ट विवरण

वित्तीय वर्ष 2017, 2018 और 2019 के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य प्राधिकरण का नाम (1)	2017		2018		2019	
		मुकदमा-पूर्व निपटाए गए मामले (2)	लंबित मामलों का निपटान (3)	मुकदमा-पूर्व निपटाए गए मामले (4)	लंबित मामलों का निपटान (5)	मुकदमा-पूर्व निपटाए गए मामले (6)	लंबित मामलों का निपटान (7)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	288	825	0	0	0	0

2	आंध्र प्रदेश	28616	118,949	28,996	66,021	8224	89,191
3	अरुणाचल प्रदेश	386	595	947	391	399	189
4	असम	23,521	35,143	19,841	11351	16,434	5162
5	बिहार	190,786	26,614	151,050	19933	144,071	20,913
6	छत्तीसगढ़	28,971	17159	36,340	34,022	20762	36,886
7	दादरा और नागर हवेली	14	83	10	160	1860	161
8	दमण और दीव	45	82	37	70	198	51
9	दिल्ली	6884	24514	12,022	63,524	28065	43,312
10	गोवा	1147	1319	1438	1266	456	1109
1 1	गुजरात	63,637	132,205	41,818	95,287	43,469	149,681
12	हरियाणा	29,739	44,326	32,984	58,157	40,633	62665
13	हिमाचल प्रदेश	2413	21183	4943	15355	10,695	14737
14	जम्मू - कश्मीर	43,631	31,214	19312	40,018	8944	23233
15	झारखंड	51003	33084	47385	24,673	33,098	16130
16	कर्नाटक	26,588	58,682	14830	85,127	32020	249,829
17	केरल	17510	21,683	66208	39,805	83,528	45201 किन
18	लक्षद्वीप	98	36	103	0	1	3
19	मध्य प्रदेश	212,237	121,574	191,949	118,620	157,676	76,757
20	महाराष्ट्र	356,795	154,554	660,134	148,491	334,306	94070
21	मणिपुर	1802	167	1600	89	1917	77
22	मेघालय	941	962	447	489	409	286
23	मिजोरम	977	22	1056	20	470	25
24	नागालैंड	283	182	2061	267	829	144
25	ओडिशा	30701	118,564	13371	27917	13,394	29803
26	पुडुचेरी	977	4016	670	4075	872	3322
27	पंजाब	27,122	78,084	37,627	74,144	20307	68,709
28	राजस्थान	76,287	103,326	47,754	117,867	49,890	169,208
29	सिक्किम	164	114	141	92	115	50
30	तमिलनाडु	167,404	373,314	106,217	369,536	29909	310,685
31	तेलंगाना	79,806	93117	45,114	43021	56241	54,597
32	त्रिपुरा	2049	3200	2526	319	3112	242
33	चंडीगढ़	332	12227	326	11,457	907	10281
34	उत्तर प्रदेश	660,803	1194296	1656280	1068336	1498268	986,137
35	उत्तराखंड	3976	13014	7851	26,636	9113	16,945
36	पश्चिमी बंगाल	339,595	89,910	19250	43,387	25,891	36,999
	कुल योग	**24,77,528**	**29,28,339**	**32,72,638**	**26,09,923**	**26,76,483**	**26,16,790**
निपटाए गए लंबित मामले = स्तभ (3)+ स्तभ (5)+स्तभ (7) = 81,55,052							

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3947
जिसका उत्तर बुधवार, 18 मार्च, 2020 को दिया जाना है

न्यायालयों में अवकाश

+3947. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में देश में अन्य सरकारी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों की तुलना में न्यायपालिका में अवकाशों की संख्या सबसे अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या अवकाशों की संख्या को कम करने, न्यायाधीशों के सभी रिक्त पदों को भरने और सुनवाई की संख्या को सीमित करने से सभी लंबित मामलों का त्वरित निपटान किए जाने में मदद मिलने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : चूंकि न्यायपालिका भारत के संविधान के अधीन राज्य का एक स्वतंत्र अंग है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कार्य दिवस/घंटे और छुट्टियों की अवधि संबंधित न्यायालय द्वारा विरचित किए गए नियमों द्वारा विनियमित होती हैं। जिला/अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य दिवस के साथ-साथ कार्य के घंटे संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा विनियमित किए जाते हैं।

न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। सरकार ने न्यायिक तंत्र में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन हेतु न्यायपालिका को सहयोग करने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अन्य बातों के साथ, कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों की बेहतर अवसंरचना, न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों की पद संख्या में वृदधि, अत्यधिक मुकद्दमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और वैधानिक उपाय और मानव विकास संशाधन पर जोर भी सम्मिलित है। केन्द्रीय सरकार की अधीनस्थ न्यायपालिका की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियों को भरना संबद्ध उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3971
जिसका उत्तर बुधवार, 18 मार्च, 2020 को दिया जाना है

फौजदारी और दीवानी मामलों का निपटान

3971. श्री संजय काका पाटील :

श्री सुनील कुमार पिन्टू :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश की विभिन्न अदालतों में फौजदारी और दीवानी मामलों के निपटान के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; (ग) क्या सरकार का न्यायिक सुधारों और लंबित अदालती मामलों के त्वरित निपटान के लिए कोई आयोग या समिति गठित करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : जी, नहीं।

(ख) : न्यायपालिका भारत के संविधान के अधीन राज्य का एक स्वतंत्र अंग है, ऐसे मामले न्यायपालिका द्वारा विनियमित होते हैं और सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है।

(ग) और (घ) : राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन को तंत्र में विलंब और बकायों में कमी करके और अवसंरचना परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही में वृद्धि करके और निष्पादक मानकों तथा क्षमताओं को स्थापित करके पहुंच में वृद्धि करने के दोनों उद्देश्यों के साथ अगस्त, 2011 में स्थापित किया गया था। मिशन न्यायिक प्रशासन में बकायों और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ, कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों की बेहतर अवसंरचना, अधीनस्थ न्यायपालिक की पद संख्या में वृदधि, अत्यधिक मुकद्दमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और वैधानिक उपाय, मामलों के तीव्र निपटान के लिए न्यायालय की प्रक्रिया की पुनः इन्जीनीयरिंग और मानव विकास संशाधन पर जोर, भी सम्मिलित है।

राष्ट्रीय मिशन के लक्ष्यों, उद्देश्यों और कार्यनीतियों तथा कार्य योजना और इसके कार्यान्वयन पर सलाह देने के लिए व्यापक सदस्यता के साथ विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता के अधीन एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। राष्ट्रीय मिशन की कार्य योजना को 5 कार्यनीतियक पहलों

के अधीन बनाया गया था, जिनका समय-समय पर राष्ट्रीय मिशन की सलाहकार परिषद द्वारा समीक्षा किया गया है। अब तक, सलाकार परिषद की ग्यारह बैंठके हुई हैं। राष्ट्रीय मिशन के अधीन क्रियाकलाप एक सतत् प्रकृति के हैं और राष्ट्रीय मिशन की सलाहकार परिषद के समक्ष नियमित रिपोर्टें प्रस्तुत की जाती है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3977
जिसका उत्तर बुधवार, 18 मार्च, 2020 को दिया जाना है

टेली लॉ स्कीम

3977. श्री रितेश पाण्डेय :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में टेली लॉ स्कीम, नई कानूनी सहायता और अधिकारिता पहल के अंतर्गत की गई पहलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) न्यायिक सेवा प्रदाताओं की संस्थागत क्षमताओं में सुधार के संबंध में राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है ; और

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य सहित राज्य-वार योजना के क्या परिणाम रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : न्याय विभाग की न्याय तक पहुंच स्कीम के अधीन, सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससीएस) के सहयोग से, उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों, जिसमें असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सम्मिलित हैं, में वर्ष 2017 से टेली-विधि कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा हैं। प्रारम्भ में, मुक्त विधि सलाह, 1800 सीएससी के माध्यम से, विधिक सेवा प्राधिकरण, 1987 की धारा 12 के अधीन मुक्त विधि सहायता के लिए हकदार व्यक्तियों को और पंचायत स्तर पर सीएससी के माध्यम से उपलब्ध विडियों कॉनफ्रेसिंग और टेलीफोन सुविधाओं द्वारा, पैनल अधिवक्ताओं के माध्यम से, 30 रू प्रति परामर्श के रुप में संदाय के साथ, अन्य व्यक्तियों को, प्रदान की गई थी। तब से, यह कार्यक्रम देश के 115 आकांक्षापूर्ण जिलों तक विस्तृत हो चुका हैं, इस प्रकार इसमें कुल 29860 सीएससी समाविष्ट हैं।

(ख) और (ग) : न्याय विभाग, न्याय सेवा प्रदाताओं की राज्यवार संस्थागत क्षमताओं में सुधार करने के लिए, सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड (सीएससी ई-जीओवी) और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) की सहायता से, पैरा विधिक स्वयंसेवकों (पीएलवीएस), ग्राम स्तरीय उद्यमकर्ताओं (वीएलईएस) और पैनल अधिवक्ताओं (पीएलएस) को कालिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहा हैं। टैली-विधिक स्कीम के अधीन 29 फरवरी, 2020 तक, 1,80,482 मामले रजिस्ट्रीकृत किए जा चुके हैं और 1,71,348 मामलों, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के हिताधिकारी भी हैं, में विधिक सहायता प्रदान की गई हैं।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3980
जिसका उत्तर बुधवार, 18 मार्च, 2020 को दिया जाना है

न्यायाधीशों द्वारा मामलों से हटना

3980. श्री असादुद्दीन ओवैसी :
श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष दर वर्ष न्यायाधीशों द्वारा विभिन्न मामलों से हटने में वृद्धि हो रही है; (ख) यदि हां, तो कितने न्यायाधीशों ने स्वयं को मामलों की सुनवाई से अलग किया है ;

(ग) क्या इस प्रथा से मामलों की सुनवाई में देरी हो रही है और इसमें समय ज्यादा लग रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या मामले की सुनवाई से हटने के लिए न्यायाधीश कोई कारण नहीं देते हैं ;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार न्यायाधीशों के लिए मामलों से हटने के कारण बताने को अनिवार्य बनाने का है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (च) : न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान और न्यायाधीशों द्वारा मामलों से हटने सहित मामलों की प्रबंधन प्रक्रिया स्पष्ट रुप से न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आती है । सरकार द्वारा न्यायाधीशों के मामलों से हटने के बारे में सूचना नहीं रखी जाती है। मामलों से हटने के कारण, यदि कोई हो, न्यायालय की कार्यवाहियों में अभिलिखित किए जाते हैं ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3990
जिसका उत्तर बुधवार, 18 मार्च, 2020 को दिया जाना है

न्यायिक पैनल

3990. श्री एम. बदरुद्दीन अज़मल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा स्थापित न्यायिक पैनलों का ब्यौरा क्या है और पैनल किन मुद्दों पर गठित हुए हैं ;

(ख) उनमें से कितनों ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है ;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ; और

(घ) शेष पैनलों द्वारा सरकार को कब तक अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने की संभावना है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4017
जिसका उत्तर बुधवार, 18 मार्च, 2020 को दिया जाना है

अधिवक्ताओं के समक्ष आ रही कठिनाइयां

4017. सुश्री एस. जोतिमणि :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार को अदालतों के कामकाज अचानक न करने और पीठों द्वारा कार्य नहीं करने के कारण अधिवक्ताओं और वादियों के समक्ष आ रही है कठिनाइयों के बारे जानकारी है ;
(ख) यदि हां, तो न्यायिक प्रणाली के समक्ष आ रही ऐसी समस्याओं से बचने या हल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है ;
(ग) क्या सरकार पक्षकारों और अधिवक्ताओं को मुकदमों के स्थगन और पीठों के कार्य न करने के बारे में एसएमएस/ईमेल द्वारा सूचना देने की सुविधा सुनिश्चित करने पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार न्यायालयों, राज्य न्यायपालिका और अधिकरणों को दिशा-निर्देश जारी करेगी ताकि समय पर निर्णय (पीडीएफ में) अपलोड करने के साथ-साथ वेबसाइटों का वास्तविक समय में अद्यतन किया जाए और विकल्प खोजना सुनिश्चित हो सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) लोगों की न्यायिक प्रणाली तक पहुंच को और अधिक सुगम बनाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : न्यायालयों के कृत्य और न्यायपीठों द्वारा निष्पादन न्यायपालिका के अधिकार-क्षेत्र के भीतर आता हैं। सरकार की इस संबंध में कोई भूमिका नहीं हैं।

(ग) : पुश एसएमएस और स्वचालित ई-मेल सुविधा, सभी जिला न्यायालयों में, मामला सूचना प्रणाली (सीआईएस) के माध्यम से, ई-न्यायालय पोर्टल पर उपलब्ध हैं। मुवक्किल और अधिवक्ता उनके मोबाईल नम्बरों और ई-मेल आईडी को सीआईएस के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से, उनके मामलों की नियमित रूप से अद्यतन जानकारी प्राप्त करते हैं। वे, उनके ई-मेलों के माध्यम से, उनके मामलों में दिए गए आदेशों और निर्णयों की सॉफ्ट प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

(घ) : उनकी वेबसाईटों पर सूचना को अपलोड करना/अद्यतन करना न्यायापालिका के अधिकार-क्षेत्र के भीतर आता है। सरकार की इस संबंध में कोई भूमिका नहीं हैं।

(ङ) : न्याय प्रदान करने और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन, अवसरंचना परिवर्तनों और पालन मानकों तथा क्षमताओं को स्थापित करने के माध्यम से, व्यवस्था में विलम्ब और बकाया को कम करके तथा उत्तरदायित्व में वृद्धि करके, बढती हुई पहुंच के दोहरे उद्देश्यों के साथ अगस्त, 2011 में स्थापित किया गया था। मिशन ने न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध समापन के लिए समन्वित पहुंच का अनुसरण किया हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ न्यायालय के लिए बेहतर अवसरंचना, जिसके अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की पद संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकद्मे बाजी वाले क्षेत्रों में विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनर्निर्माण और मानव संसाधन विकास पर जोर भी है, अंतर्वर्लित हैं। विभिन्न पहलों के अधीन पिछले पाँच वर्षों के दौरान उठाए गए मुख्य कदम निम्नानुसार हैं—

(क) <u>जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार:</u>

1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सी एस एस) के प्रारंभ से आज की तारीख तक 7453.10 करोड़ रु० जारी किए जा चुके हैं । जिसमें से 4008.80 करोड़ रु० (जो आज की तारीख तक जारी कुल रकम का 53.79% है) अप्रैल, 2014 से राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से 29.02.2020 तक बढ़कर 19,694 हो चुकी है और तारीख 30.06.2014 को आवासीय इकाईयों की संख्या 10,211 से बढ़कर 29.0 2.2020 तक 17,432 हो चुकी है । इसके अतिरिक्त, 2 ,814 न्यायालय हाल और 18 43 आवासीय इकाईयां निर्माणाधीन हैं।

(ख) <u>बेहतर न्याय के परिदान के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) का प्रभावन:</u> जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में समर्थ करने के लिए संपूर्ण देश में सरकार ई – न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है। वर्ष 2014 से आज तारीख तक कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या 13,672 से बढ़कर 16,845 हो चुकी है और 3,173 की वृद्धि दर्ज की गई है । सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में नया और उपयोक्ता अनुकूल मामला सूचना सॉफ्टवेयर विकसित करके लगाया गया है। सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में, एन जे डी जी पर इन कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों के संबंध में 13.13 करोड़ लंबित और निपटाए गए मामलों तथा 11.46 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों से संबंधित मामला प्रास्थिति सूचना उपलब्ध है। मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को ई न्यायालय सेवाऐं जैसे मामला रजिस्टर करने, मामला सूची, मामले की प्रास्थिति, दैनिक आदेशों और अंतिम निर्णयों के ब्यौरे सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में ई न्यायालय बेव पोर्टल, न्यायिक सेवा केन्द्रों (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ईमेल सेवा, एस एम एस पुश एण्ड पुल सर्विस के माध्यम से उपलब्ध हैं। 3240 न्यायालय परिसरों और 1272 तत्स्थानी जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान की गई है।

(ग) <u>उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों को भरना:</u>

01.05.2014 से 29.02.2020 की अवधि के दौरान, उच्चतम न्यायालय में 35 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई । उच्च न्यायालयों में 522 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 443 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए । उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत

संख्या मई 2014 में 906 से वर्तमान में बढ़कर 1079 हो गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत संख्या निम्नानुसार बढाई गई है:-

तारीख	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या
31.12.2013 को	19,518	15,115
29.02.2020 को	24,018	19,160

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्त पदों को भरना संबधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में हैं।

(घ) बकाया मामला समिति द्वारा /अनुवर्ती कार्यवाही के माध्यम से लंबित मामलों में कमी : अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए उच्च न्यायालयों में बकाया मामला समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया मामला समितियों की स्थापना की गई है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कदम विरचित करने के लिए एक बकाया मामला समिति का गठन किया है।

(ङ) अनुकल्पी विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर: वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 (20 अगस्त 2018 को यथा संशोधित) बाध्यकारी पूर्व संस्थापन मध्यकता और वाणिज्यिक विवादों के परिनिर्धारण को नियत करता है। माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 में समय सीमा विहित करके विवादों के त्वरित समाधान को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा संशोधन किया गया है।

(च) विशेष प्रकार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पहल: चौदहवें वित्त आयोग ने सरकार के राज्यों में न्यायिक तंत्र को मजबूत करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए वरिष्ठ नागरिकों, स्त्रियों, बालकों आदि से संबंधित मामलों हेतु त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना सम्मिलित हैं, और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रुप में प्रदान के गए राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। 31.12.2019 को जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बालकों के विरूद्ध अपराधों, कुटुम्ब और वैवाहिक विवादों आदि के लिए 828 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं। निर्वाचित सांसदों/विधायकों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए दस (10) विशेष न्यायालय नौ (9) राज्यों (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक में 1 और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में 2) में कार्य़ कर रहे हैं और सरकार द्वारा इन राज्यों को उचित अनुपात में निधियां जारी की गई हैं। और, सरकार ने भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और लैंगिक अपराधों से बालकों की सुरक्षा अधिनियम के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के त्वरित निपटान हेतु संपूर्ण देश में 1023 विशेष त्वरित न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने के लिए एक स्कीम का अनुमोदन किया है। आज तारीख तक, 649 विशेष त्वरित न्यायालयों की स्थापना हेतु 27 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्कीम में सम्मिलित हुए है, जिसके अंतर्गत 363 विशिष्ट पोक्सो न्यायालय भी हैं। (100 करोड़ रुपये के कुल आबंटन में से) 99.43 करोड़ रुपये त्वरित न्यायालयों के लिए पहली किश्त के रुप में पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

(छ) सरकार ने लंबित मामलों में कमी करने और न्यायालयों को बाधा मुक्त करने के क्रम में वर्तमान में विभिन्न विधियों जैसे कि परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018 , वाणिज्य न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और

सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दण्ड विधियाँ (संशोधन) अधिनियम, 2018 का संशोधन किया हैं।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4038
जिसका उत्तर बुधवार, 18 मार्च, 2020 को दिया जाना है

न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण संबंधी कॉलेजियम

4038. प्रो. सौगत रायः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण संबंधी कॉलेजियम की सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई स्थायी मानदंड हैं ;

(ख) यदि हां, तो वहां का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कथित तौर पर मनमानी नीति (पिक एंड चूज पालिसी) को अपनाया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के 6 अक्तूबर, 1993 के निर्णय (द्वितीय न्यायाधीश मामला) के साथ पठित 28 अक्तूबर, 1998 की सलाहाकारी राय (तृतीय न्यायाधीश मामला) के अनुसरण में, वर्ष 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किए जाते हैं।

प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव का आरंभ संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है। सिफारिश को अग्रसर करने से पूर्व, मुख्य न्यायमूर्ति अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के संबंध में, अपने दो ज्येष्ठतम सहयोगियों से परामर्श करता है। प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विभिन्न गुणों जैसे कि सत्यनिष्ठा और चरित्र, सक्षमता, न्यायिक कार्यक्षम, पूर्ववृत्त, आयु, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (न्यायिक अधिकारियों के सबंध में), वृत्तिक आय और प्रकाशित और गैर प्रकाशित निर्णय (अधिवक्ताओं के संबंध में), किसी दांडिक और सिविल मुकदमों में शिकायत/सामिल होना आदि पर विचार किया जाता है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का किसी एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के संबंध में, प्रक्रिया ज्ञापन यह उपबंध करता है कि प्रस्ताव का आरंभ भारत मुख्य न्यायामूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय के चार ज्येष्ठत्म अवर न्यायाधीशों के परामर्श से किया जाता है। प्रक्रिया ज्ञापन, इसके अतिरिक्त यह उपबंध करता है कि भारत के मुख्य न्यायामूर्ति से उच्चतम

न्यायालय के एक या अधिक ऐसे न्यायाधीशों, जो अपने विचार प्रस्तुत करने की स्थिति में हैं, के विचारों को ध्यान में रखने के अतिरिक्त उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायामूर्ति जिसके न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जाना है, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायामूर्ति के भी जहां स्थानांतरण होना है, के विचारों को ध्यान में रखने की भी अपेक्षा की जाती है । सभी स्थानांतरण लोक हित में अर्थात् संपूर्ण देश में न्याय के बेहतर प्रशासन का संवर्धन करने के लिए, किए जाते है।

(ग) : जी, नहीं।

(घ) : प्रश्न ही नहीं उठता है।

****